क्या आपने कभी सोचा है ?

कि आपके चारों ओर के सामाजिक जीवन में कितनी पीड़ा, वेदना, असामंजस्य और असमर्थता है और यदि आप समाज-सेवी हैं तो एक कार्यकर्त्ता की हैसियत से समाज की तेज़ी से बदलती हुई समस्याओं के अनुरूप अपनी गति-विधियों का संचालन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको समाज की एक करुणापूर्ण झांकी देखनी है और सामाजिक जीवन की उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान पाना है तो.....

अगस्त मास में प्रकाशित होने वाले

'समाज कल्याण'

वार्षिक अंक

की प्रतीक्षा करें

यह विशेषांक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विषयों पर देश के प्रमुख मनीषियों द्वारा की गयी मीमांसाओं, कहानियों, कविताओं एवं उत्प्रेरक जीवनियों और कलात्मक चित्रों से युक्त एक संग्रहणीय अङ्क होगा।

पृष्ठ संख्या १०० : मूल्य ७५ नये पैसे

आज ही समाज कल्याण के ग्राहक बन कर अपनी वार्षिक अंक की प्रति सुरक्षित कराएं

एक प्रति (साधारण अंक) : ३५ नये पैसे; वार्षिक चन्दा : रु० ४.००

अपनी प्रति स्थानीय पुस्तक विक्रेता तथा न्यूज़पेपर एजेण्ट के यहां सुरक्षित कराएं अथवा अग्रिम मूल्य भेजकर सीधे हमें लिखें

बिज़नेस मैनेजर

पब्लिकेशन्स डिवीज़न

(समाज कल्याण यूनिट)

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली-८

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास मन्त्रालय का मासिक मुखपत्र

वर्ष २] जुलाई १९५७ : आषाढ़-श्रावण १८७९ [अंक ९

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार : सुशील सरकार]		
भूमि सुधार	भगवान सिंह	२
हमारा कृषि उत्पादन	...	५
विस्तार की परिभाषा	जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव	६
भारत की सिंचाई व्यवस्था	बालेश्वरनाथ	९
बूँद-बूँद से घड़ा भरता है	जितेन्द्रकुमार गुप्त	११
भारत के मेरे कुछ अनुभव	एस्कॉट रीड	१३
चित्रावली	...	१५-१८
काकिनाड़ा (आन्ध्र) पाइलट योजना	पी० एम० मथाई	१९
भारत के विभिन्न राज्यों में 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन'	...	२१
मसूरी सम्मेलन की सिफ़ारिशें—३	...	२४
मसूरी सम्मेलन में नेहरू जी के साथ	एस० एन० भट्टाचार्य	२७
निर्माण करो [कविता]	कुन्तलकुमार जैन	२८
घरेलू उद्योगों की प्रगति	...	२९
प्रगति के पथ पर	...	३०

सम्पादक :
केशवगोपाल निगम
[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]
उप-सम्पादक : *अशोक*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सैक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २.५० रुपये
एक प्रति का मूल्य २५ नये पैसे

विज्ञापन के लिए
बिज़नेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन,
दिल्ली—८ को लिखें।

भूमि सुधार

भगवान सिंह

भारत का क्षेत्रफल लगभग ८० करोड़ एकड़ है जिसमें से एक बड़ा भाग मकानों, जंगलों, पर्वतों और नदियों से आवृत है। बगैर जोती ऊसर भूमि को छोड़ कर शेष जोती जाने योग्य भूमि का क्षेत्र देश में ४,१७० लाख एकड़ है। इसमें लगभग ५४० लाख एकड़ (७ प्रतिशत) चालू पड़ती भूमि है। २,७५० लाख एकड़ (३५ प्रतिशत) वह भूमि है जिसमें फ़सलें लहलहाती हैं और शेष ८८० लाख एकड़ (११ प्रतिशत) जोती जाने योग्य बंजर भूमि है। भारत में जोती जानेवाली भूमि प्रति व्यक्ति दूसरे देशों के मुकाबले में कितनी कम है, यह निम्न-लिखित आँकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा—

कनाडा	५.२६	एकड़	प्रति	व्यक्ति
आस्ट्रेलिया	४.७१	,,	,,	,,
अरजेण्टाइना	४.५६	,,	,,	,,
संयुक्त राज्य अमेरिका	३.१३	,,	,,	,,
सोवियत संघ	२.४३	,,	,,	,,
भारत	०.६८	,,	,,	,,

अतएव अधिकाधिक भूमि को सुधार कर उसमें फसल पैदा करने का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भूमि सुधार की बहुत सी समस्याएँ हैं और उसके पृथक-पृथक हल हैं। भूमि के बहुत से ऐसे बंजर भाग हैं जो रासायनिक ढंग से फसल उगाने के तरीकों को इस्तेमाल करने से भी सुधर सकते हैं। भूक्षरित कुछ भाग ऐसे हैं जिनके तल की उपजाऊ मिट्टी बह गई है, परन्तु भूरक्षण के प्रयोग द्वारा जिन्हें उपजाऊ बनाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में ही ऊसर भूमि अनुमानतः २२ लाख एकड़ है। यह भूमि मानसून से भी अप्रभावित रहती है। ऐसी भूमि का तल एक से तीन फुट तक सख्त रहता है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ की देखरेख में इस विषय में एक योजना चलाई। बड़े-बड़े अश्व-शक्ति वाले ट्रैक्टरों, और पैन ब्रेकरों की सहायता से भूमि को ३६ इंच से ४० इंच नीचे तक तोड़ा गया जिसके फलस्वरूप इस ऊसर भूमि में धान की खेती होने लगी। इस प्रयोग से ऊसर भूमि की समस्या को सुलझाने का एक नया मार्ग खुला है।

दलदल-भरी ज़मीन को सुखा कर उसमें अन्न उपजाने की क्रिया द्वारा भी बहुत-सी भूमि का उद्धार किया जा सकता है। यह कहना तो कठिन है कि ऐसी जलमग्न और दलदल-भरी ज़मीन देश में कितनी निकल सकती है। परन्तु बंगाल में केवल सुन्दरबन के इलाके में ही ३ हज़ार वर्गमील का इलाका सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार का सुधार कार्य समुद्र के तट पर सूरत ज़िले में भी किया गया है। सुन्दरवन के अतिरिक्त इसी प्रकार झीलों से भूमि का उद्धार कार्य करने की चर्चा काश्मीर में भी चल रही है।

कुछ भूभाग बंजर रहते-रहते जंगल बन गए हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त भारत के मध्य भाग में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ काँस एक शाप सिद्ध हुई है। भूमि की उत्पादन शक्ति को काँस के अभिशाप से बचाना भी एक भिन्न और गहन समस्या है।

भारत द्वारा कृषि सम्बन्धी यन्त्रों का प्रयोग दुनिया में अपना एक अलग इतिहास रखता है। द्वितीय युद्ध के बाद जब भारत निर्माण की योजनाओं में संलग्न था, उस समय अन्नोत्पादन की ओर कदम बढ़ाने के बहुत से प्रयत्न हुए। इस कार्य के लिए भीमकाय ट्रैक्टरों की आवश्यकता प्रतीत हुई जो भारत के पास नहीं थे और विदेशों में भी इनका उत्पादन सीमित ही था। सरकार ने असम के दूरस्थ क्षेत्रों से अमेरिकी सेना द्वारा प्रयोग में लाए हुए अस्त-व्यस्त ट्रैक्टरों को खरीदा और न्यू पूसा, नई दिल्ली में ला कर उनको ठीक करने की व्यवस्था की। अमेरिकी सेना द्वारा प्रयुक्त इन मशीनों को सुधार कर १०० ट्रैक्टरों में परिवर्तित किया गया और १९४७-४८ के दौरान में इन्हीं मशीनों द्वारा भूमि-सुधार का काम प्रारम्भ हुआ जिसका परिणाम आशातीत निकला। इस प्रकार केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का सूत्रपात हुआ। इस कार्य को और विस्तृत करने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से सहायता ली और १ करोड़ ११ लाख डालर का ऋण लेकर केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को मज़बूत बनाया।

उपर्युक्त सुधारे गए ट्रैक्टरों का प्रयोग सर्व प्रथम गंगा खादर के मैदान में किया गया। यह मैदान गंगा नदी द्वारा बहाई हुई मिट्टी से बना था। समय की गति के साथ-साथ गंगा अपना मार्ग बदलती गई। जो मार्ग बदला गया, वही उपजाऊ मिट्टी वाला भाग सरकंडा घास से ढक गया जिसके फलस्वरूप वहाँ भीमकाय ट्रैक्टरों को चलाने का सफल प्रयत्न हुआ। सकरी भूमि पर नई-नई बस्तियाँ बसीं और अन्नोत्पादन का काम आगे बढ़ा।

सन् १९४६ में ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि यदि दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल और मध्य प्रदेश स्थित लगभग लाखों एकड़ काँस वाले क्षेत्र को खेती योग्य बनाया जाए तो देश की अतिरिक्त उपज ३० लाख टन बढ़ जाएगी। काँस एक ऐसी घास है जिसकी जड़ें कहीं २०-३० फुट नीचे तक जाती हुई देखी

गई हैं। ज़मीन पर इसकी ऊँचाई ५ फुट तक रहती है। काँस की आयु १२ वर्ष तक बताई जाती है। परन्तु जब तक काँस अपने अन्तिम दिनों में होती है, तब तक भूमि जंगलों से ढक जाती है और वह भूमि खेती के लायक नहीं रहती। मध्य प्रदेश में एक कहावत भी है कि जब किसी परिवार पर शनि का प्रकोप होता है तक उसके खेत में काँस का प्रादुर्भाव होता है।

आज तक काँस को समाप्त करने का उपाय यह रहा है कि जिस क्षेत्र में काँस हो, उसके चारों ओर बाँध बाँध देते हैं और बाँध में जमे पानी से काँस का प्रभाव कम रहता है। परन्तु यह प्रणाली बड़ी महँगी है क्योंकि बड़े-बड़े क्षेत्रों के लिए बाँध बनाना सरल नहीं है।

काँस उन्मूलन के अन्य भी कई रासायनिक प्रयोग हैं, परन्तु उनको सर्वमान्यता देना महँगा ही नहीं है, बल्कि इस ढंग से काँस को मिटाने की क्रिया का भूमि की उर्वरता पर भी बड़ा बुरा असर पड़ता है। क्लोरोफिल डिमेथिल यूरिया जैसी रसायनों की परीक्षण तो हो भी चुका है।

काँस का नाश करने के लिए और भी ऐसी घासों की तलाश की गई जिनके कारण काँस के कुप्रभाव को सीमित रखा जा सके। ऐसे प्रयोगों में भी अधिक सफलता नहीं मिली। कारण ऐसी घासें खेत में उत्पन्न हो कर काँस पर तो अपना असर डालती ही हैं, परन्तु अन्य फसलों की पैदावार पर भी उतना ही असर डालती हैं और पैदावार को रोक देती हैं।

आर्थिक दृष्टि से केवल एक ही उपाय सरल प्रतीत होता है—वह है भूमि को १२-१४ इंच की गहराई तक हलों द्वारा जोतना जिससे काँस की जड़ों का नाश हो जाए। देहाती हल इस गहराई तक नहीं पहुँच सकते। अतः इस कार्य के लिए भीमकाय ट्रैक्टरों—१०० हार्स पावर के जिसमें विशेष प्रकार के हल लग सकते हैं—की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार की जुताई के लिए जनवरी

ट्रैक्टरों की सहायता से कास को समाप्त किया जा रहा है

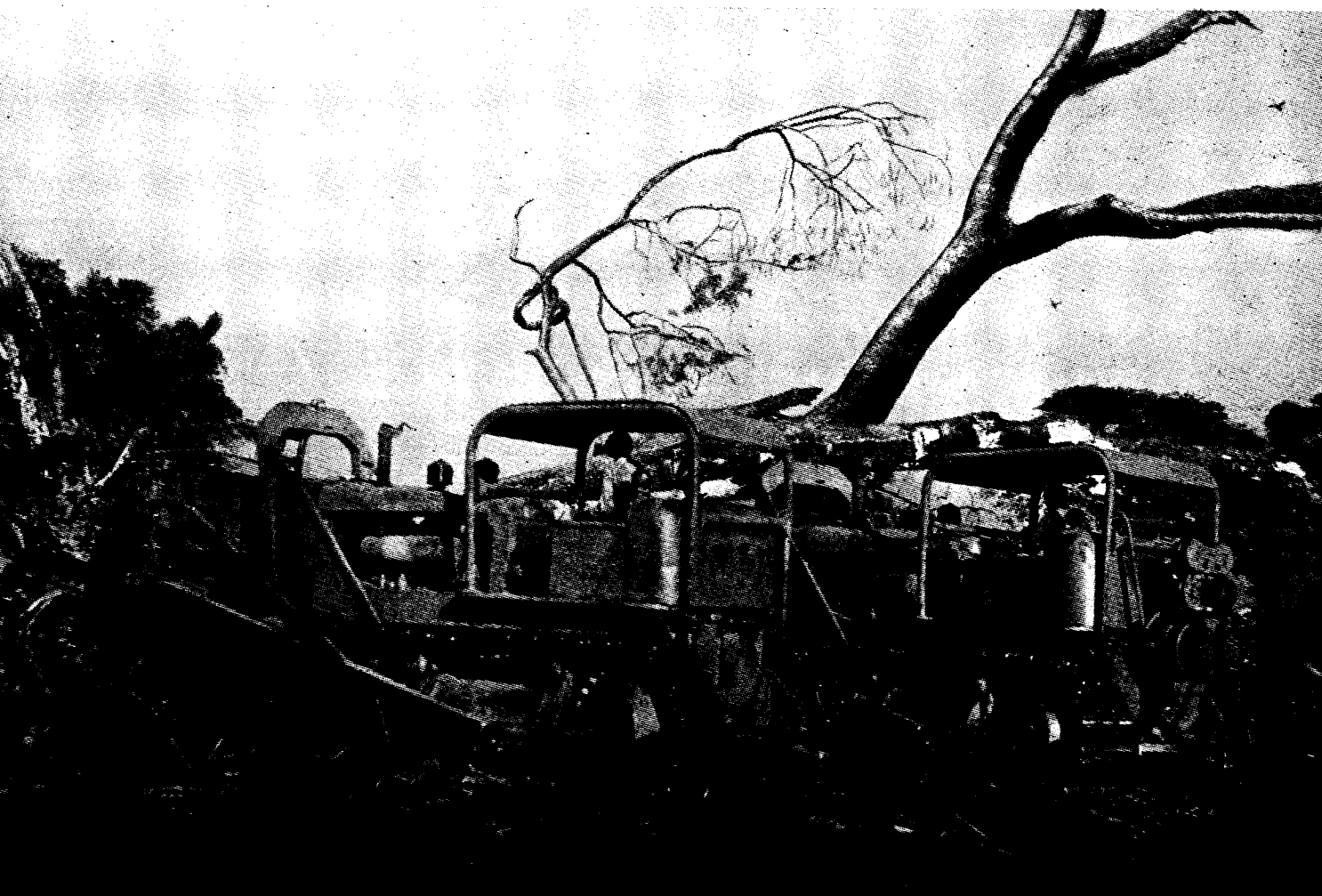

से मई तक का समय उपयुक्त माना गया है क्योंकि इन महीनों के बाद वर्षा काल में गीली भूमि में हलाई करने पर काँस की जड़ों का दोबारा प्रस्फुटन होने का भय रहता है।

पहले-पहल भारतीय किसान मशीनों द्वारा काँस उन्मूलन के विषय में संदिग्ध रहा क्योंकि उसके द्वारा व्यवहार में लाए गए काँस उन्मूलन के सब तरीके असफल हो गए थे। परन्तु वह समय भी दूर न रहा जब उसे भीमकाय मशीनों द्वारा किए क्रिया कलापों की उपयुक्तता अनुभव हुई। जिस भूमि पर काम चालू होना था, वह ज़मींदारों तथा किसानों, दोनों के अधिकार में थीं। अत-एव आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता प्राप्ति के लिए मशीनों द्वारा हलाई करने के लिए बड़े-बड़े क्षेत्रों की समस्या भी सामने आई। इन सब समस्याओं का हल निकाला गया और १९४८-५६ के दौरान में १५ लाख एकड़ भूमि को, जो काँस से आवृत थी, केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा काँस से मुक्त करके खेती योग्य बनाया गया।

काँस वाली भूमि की हलाई साधारण-सी है। वर्ष भर में जिस भूमि की हलाई करनी होती है, उसमें जो झाड़ियाँ और वृक्ष होते हैं, उनकी सफाई इन बड़े ट्रैक्टरों द्वारा अक्टूबर मास के अन्त से प्रारम्भ कर दी जाती है। नाले इत्यादि भर दिए जाते हैं और विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है। जनवरी से मई तक बड़े-बड़े हलों द्वारा जिसे अंग्रेज़ी में 'मोल्ड बोर्ड रेन्सम सुपर ट्रैक प्लाउ' कहते हैं, के द्वारा गहरी जुताई होती है। यह हल ट्रैक्टरों द्वारा खींचे जाते हैं। इस हल का विशेष लाभ यह है कि यह बहुत गहराई तक जाता है और काँस-ग्रसित भूमि के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

गहरी जोताई द्वारा काँस ग्रस्त भूमि के सुधारे जाने की सफलता भूमि सुधार के पश्चात् खेती की क्रियाविधि पर भी निर्भर करती है। इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इसलिए सरकार ने बैल आदि खरीदने के लिए तकावी आदि बाँटने की व्यवस्था भी की है। राज्य सरकारों ने इस समस्या को बड़े अच्छे ढंग से सुलझाया है। तक़ावी के मिलने तथा भूमि-सुधार का व्यय सात सालाना किश्तों पर देने से किसान पर कोई अधिक बोझ नहीं पड़ता। राज्य सरकारों ने इन इलाकों में सुधरे हुए बीज आदि बाँटने की भी व्यवस्था की है।

भूमि को घने, बेकार जंगलों व झाड़ियों से मुक्त करने का एक दूसरा रोचक विषय है। ट्रैक्टरों द्वारा भारी जंगलों को साफ़ करने का पहला प्रयत्न उत्तर प्रदेश के नैनीताल तराई क्षेत्र में हुआ। यह क्षेत्र जंगली जानवरों और मलेरिया के कारण मनुष्यों के रहने के लिए बेकार हो गया था और घने जंगलों से आवृत हो गया था। परन्तु अब वहाँ पर १६,००० एकड़ का फार्म बना है जो चारों ओर शरणार्थियों की बस्तियों से घिरा होने से और भी सुरम्य स्थल बन गया है और अच्छी चहल-पहल का केन्द्र है। इसी प्रकार उचित प्रकार की मशीनों द्वारा असम, मध्य प्रदेश एवं भोपाल में जंगल साफ़ करने का काम चालू है।

अनुमानतः ट्रैक्टर द्वारा घने जंगल से आवृत एक एकड़ भूमि का सुधार लगभग ५०० रुपए की लागत पर हो सकता है। परन्तु एक एकड़ जंगल साफ़ कर सुधारने का व्यय तो जंगल के घने और भूमि की सतह इत्यादि पर ही निर्भर है। जंगल साफ़ करने की विधि इस प्रकार है—

घने जंगल में ट्रैक्टर आगे चलाने के लिए जगह मुश्किल से ही मिलती है। अतः पेड़ गिराने का एक यन्त्र भी ट्रैक्टर के साथ लगाया जाता है और फिर पेड़ों को गिराता हुआ ट्रैक्टर आगे बढ़ता है। ऐसे ही दो समानान्तर रास्ते बनाए जाते हैं। इन रास्तों पर दो ट्रैक्टर एक ही दिशा में समानान्तर दौड़ते हैं। इन ट्रैक्टरों के बीच से एक ऐंकर चेन या भारी जंजीर जुड़ी होती है। यह जंजीर २०० फीट लम्बी होती है। जंजीर का कुल वज़न १२ टन होता है। इसकी हर एक कड़ी का वज़न साढ़े चार मन होता है। जैसे दोनों ट्रैक्टर चलते हैं तो इस जंजीर द्वारा बीच में आनेवाले सभी पेड़ गिरते जाते हैं। छोटी-छोटी झाड़ियाँ जो बीच में बच जाती हैं, पेड़ों के गिरने से दब जाती हैं। दूसरी क्रिया गिरे हुए पेड़ों के ठूँठों को निकालने की होती है। यह कार्य स्टम्पर या रूट कटर (जड़ साफ़ यन्त्र) जिसका आकार ठूँठ के अनुसार नियत किया जाता है, की सहायता से किया जाता है। ये दोनों यन्त्र ट्रैक्टर द्वारा ही चलते हैं। सामने के ब्लेडों, जो कि ट्रैक्टर में लगे होते हैं, के द्वारा गिरे हुए पेड़ और ठूँठ एक ओर इकट्ठे होते रहते हैं। इस क्रिया को 'विण्ड्रोइंग' कहते हैं। इस प्रकार एकत्रित ठूँठ और पेड़ खेत में एक ढलान के रुख़ के अनुसार जमा किए जाते हैं। इमारती लकड़ी व्यापारियों-ठेकेदारों द्वारा ले जाई जाती है। जो ठूँठ बच जाते हैं, उन्हें जला कर या तो लकड़ी का कोयला बनाया जाता है या ठूँठों को आग लगा कर उसके साथ अन्य घास-पात या झाड़ियों को जलाया जाता है। फिर भूमि के अन्दर वाले ठूँठ और पेड़ों की फैली हुई जड़ों का उन्मूलन किया जाता है और तत्पश्चात भूमि डिस्क या हैरो आदि हलों से जोती जाती। इस प्रकार खेती योग्य भूमि तैयार हो जाती है।

यह क्रियाएँ तभी सम्भव हो सकी हैं जबकि देश के पास पर्याप्त संख्या में भीमकाय ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनें थीं। उड़ीसा के साढ़े पाँच लाख एकड़ बिना जोती गई जंगलों वाली भूमि को सुधारने के लिए जून, १९४८ में ऐसी ही सुधार योजना चलाई गई, परन्तु उड़ीसा राज्य के पास मध्यम श्रेणी की मशीनें ही थीं। उनके द्वारा लगभग १,००० एकड़ भूमि का सुधार किया

गया। परन्तु केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के भीमकाय ट्रैक्टरों ने अब तक औसतन ५२ हज़ार एकड़ जंगलों से भरी भूमि का सुधार किया है।

मौसम की अनिश्चितता, बाढ़ तथा खेती के पुराने तरीकों के कारण भारतवर्ष को एक दूसरी समस्या—भूक्षरण का सामना करना पड़ता है। साधारण अर्थों में यह भूमि के ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी का बह जाना है। मिट्टी का यह क्षरण दो विशेष कारणों—पानी और हवा—से होता है और जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो समुद्र तट की लहरें बनाने में सहायक होते हैं जो कि भूमि के बहुत बड़े भाग पर प्रभाव डालते हैं। मैदानोंवाली भूमि वर्षा का पर्याप्त पानी सोख लेती है। कड़ी मिट्टी वाली ढलवाँ भूमि हल्की मिट्टी की अपेक्षा पानी को धीरे-धीरे सोखती है। यदि वर्षा का पानी मैदानी भूमि पर उसकी सोखने की शक्ति से अधिक पड़ता है, तो बचा हुआ पानी पोखर या ताल के रूप में ज़मीन के ऊपर जमा हो जाता है। इसके विपरीत ढालों पर जहाँ ज़मीन पानी नहीं सोख पाती, वहाँ अधिक वर्षा के कारण मिट्टी बहने लगती है। यही बहता हुआ पानी मिट्टी को भी बहा ले जाता है। मिट्टी की तह, जो हमेशा पानी से बह जाती है, उसे भूतल-क्षरण कहते हैं। उन खेतों में जहाँ मिट्टी का इस प्रकार नाश होना प्रारम्भ हो जाता है, वहाँ मामूली भार बैलगाड़ी के पहियों के चलने इत्यादि ही से गलियाँ जैसी बन जाती हैं। इस प्रकार की मीलों बंजर भूमि देश के भिन्न-भिन्न भागों में दिखाई देना आश्चर्यजनक नहीं है।

बुवाई, पेड़ों को लगाना जिससे बेगरी मिट्टी जम सके आदि कार्यविधियों को बदलने के अतिरिक्त ट्रैक्टर के साथ मिट्टी हटाने या इधर-उधर करने के लिए अन्य यन्त्र काम में लाए जाते हैं। बही हुई मिट्टी वाली भूमि हमवार की जाती है और बाँध-बाँध कर छोटी-छोटी इकाइयों में बाँटी जाती है जिससे पानी द्वारा और मिट्टी न बह सके। मामूली ढालों पर हल्के-हल्के टेढ़े-मेढ़े बाँध भूमि की ढलाई को देखते हुए बना दिए जाते हैं, जिन पर अलग खेती की जाती है। भू-रक्षण विभाग इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राज्यों में अपनी योजनाएँ, भूमि-सुधार यूनिटों की सलाह से कार्यान्वित कर रहा है। ऐसी ही एक योजना बिहार में कार्यान्वित हो रही है जिमें केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की दो यूनिटें यानी ३० भीमकाय ट्रैक्टर, बुलडोज़र, भमि-पाटन-यन्त्र एवं स्क्रेपर आदि काम कर रहे हैं।

बहुत कुछ होने के उपरान्त भी इस ओर और भी अधिक कार्यवाही करनी है। भूमि के बड़े-बड़े टुकड़ों को जंगलों, अनेक प्रकार की घास, ठूँठों आदि से मुक्त कराना है जिससे यह भूमि कृषि योग्य बन सके। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के साथ अब सामुदायिक विकास योजना के अनेक यन्त्र भी अब दाएँ-बाएँ और रात-दिन इस ओर काम करते दीख रहे हैं।

कुछ महत्वपूर्ण आँकड़े

१९५१-५२ को समाप्त पाँच वर्षों में खाद्यान्न (चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, दाल और अन्य अनाज) का औसत उत्पादन ५ करोड़ १८ लाख टन प्रतिवर्ष था। १९५६-५७ को समाप्त पाँच वर्षों में यह औसत बढ़ कर ६ करोड़ ४९ लाख टन प्रतिवर्ष हो गया है।

× × ×

१९५६-५७ में समाप्त पाँच वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य ६ करोड़ ७ लाख टन प्रतिवर्ष रखा गया था। परन्तु असली उत्पादन इससे भी ४० लाख टन अधिक रहा।

× × ×

१९५१-५२ में समाप्त पाँच वर्षों में चीनी का औसत उत्पादन ११ लाख टन प्रतिवर्ष था, १९५६-५७ में समाप्त वर्षों में उत्पादन ४५ प्रतिशत बढ़ कर १६ लाख टन प्रतिवर्ष हो गया है। इसी तरह कपास का उत्पादन भी औसतन २५,२०,००० गाँठों से बढ़ कर ४०,३०,००० गाँठें हो गया है। दूसरे शब्दों में उत्पादन ६५ प्रतिशत बढ़ गया है।

× × ×

१९५४,१९५५ और १९५६ में कुछ खाद्यान्नों का निर्यात भी किया गया। इस अवधि में १ लाख ६५ हजार टन खाद्यान्न निर्यात हुआ, जिससे ८ करोड़ ७८ लाख रुपए की आय हुई।

× × ×

१९५४ में भारत में ८ लाख ८ हजार टन खाद्यान्न आयात किया गया, जिसका मूल्य ४७ करोड़ २ लाख रुपया है। इसी तरह १९५५ में ३३ करोड़ ११ लाख रुपए का ७ लाख टन और १९५६ में ५६ करोड़ ३५ लाख रुपए का १४ लाख २० हजार टन खाद्यान्न आयात किया गया।

× × ×

देश में लगभग ६ लाख एकड़ जमीन में अर्थात् कुल खेती के केवल ०.२ प्रतिशत भाग में आलू की खेती होती है और इसका वार्षिक उत्पादन ६ करोड़ मन है। इस प्रकार देश में एक व्यक्ति के हिस्से साल भर में केवल ९ पौण्ड आलू आता है, जबकि पाश्चात्य देशों में एक व्यक्ति के हिस्से ५०० पौण्ड वार्षिक आता है।

विस्तार की परिभाषा

जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव

: १ :

विस्तार की पृष्ठ भूमि

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाक् भवेत् ॥

लोक कल्याण का वह रूप जिसमें सब सुखी और समृद्धिशाली हों, तभी सम्भव है जब समाज के प्रत्येक वर्ग में एक चेतना उद्‌बुद्ध हो जाए। विस्तार इसी रूप को लाने का एक प्रयास है।

विस्तार शब्द अंग्रेजी के "एक्सटैन्शन" शब्द का हिन्दी रूपान्तर है जिसको लोग प्रसार भी कहते हैं। यह शब्द तो हमारे लिये नया नहीं है परन्तु इसका प्रयोग अवश्य ही नया है। सर्वप्रथम इस शब्द का कार्यरूप में परीक्षण अमेरिका ने १९१२ में किया जिसका मूल ध्येय विद्यालय के बाहर के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में खेती सम्बन्धी शिक्षा का व्यापक और सफल प्रचार किया गया जो एक आन्दोलन के रूप में परिणत हो कर न केवल उस देश में ही, बल्कि अन्य देशों में भी लोक प्रिय हो गया और इस प्रकार विस्तार शब्द का जन्म हुआ।

भारतीय इतिहास में विस्तार की पृष्ठभूमि—इससे पूर्व कि हम यह लिखें कि विस्तार का हमारे देश में कब और कैसे प्रवेश हुआ, हमें उस स्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए जिसमें हमारे पूर्वजों ने उसका प्रयोग तो अवश्य किया परन्तु कुछ विशेष कारणों से सफल न हो सके।

देश में अंग्रेजी राज्य के पूरी तरह स्थापित हो जाने के बाद १९ वीं शताब्दी के लगभग मध्य में एक सांस्कृतिक पुनरोदय आरम्भ हुआ। अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं ने सेवा और सुधार की ओर ध्यान देना आरम्भ किया। कुछ संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य आरम्भ किए, परन्तु उनका कार्यक्षेत्र एक तो कस्बों तथा नगरों तक सीमित रहा, दूसरे धार्मिक भावनाओं से अधिक ओत-प्रोत था। हमारे देश की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है, पर उसकी उपेक्षा की गई और किन्ही विशेष समस्याओं के उठ खड़े होने पर ही इन संस्थाओं का क्षणिक ध्यान गाँवों की ओर जाता था। इनमें प्रमुख, डाक्टर एनीबेसेन्ट की थियोसोफिकल संस्था, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण मिशन, जनसेवा मण्डल तथा ईसाई मिशन संस्थाएँ थीं। उत्तर प्रदेश में डा० वाइजर ने भारत ग्राम सेवक संघ द्वारा ग्रामोत्थान का कुछ कार्य किया। इसी प्रकार डा० ई० डी० स्पेन्सर हैच ने दक्षिणी भारत में ग्राम सेवा का काम आरंभ किया। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में देश में राजनीतिक और राष्ट्रीय जागृति हुई। स्वर्गीय श्रीगोपाल कृष्ण गोखले की भारत सेवा सभा और लाला लाजपतराय की जनता सेवक सभा, ठक्करबापा तथा पंडित मदनमोहन मालवीय ने देश की निःस्वार्थ सेवा की पर देश का एक बड़ा भाग अब भी अछूता ही था।

फिर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी ने ग्राम सेवा का काम अपने हाथ में लिया और जिसका बीज उन्होंने अनेक नेताओं द्वारा विभिन्न प्रान्तों तक फैलाया। उन्होंने ग्रामोद्योग के महत्त्व को असली रूप में देखा और विरोध एवं वातावरण की कठिनाइयों के बीच भी अपने कार्य में रत रहे। उन्होंने समझा कि जब तक हम देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं कर लेते, राजनीतिक स्वतन्त्रता पाना कठिन है। देश के जीवन को उठाने के लिए यह अति आवश्यक है कि सभी एक साथ मिल कर ग्रामोत्थान में लग जाएँ। कुछ समय बाद सरकारी संगठन बड़े पैमाने पर ग्राम सेवा के प्रयोग और उसका कार्यान्वित करने के लिये तत्पर हो गए।

इस महान कार्य के लिए साधन शक्ति तथा मिशनरी प्रवृत्ति वाली सेना की आवश्यकता हुई। इसके लिए पहला कदम यह उठाया गया कि ग्राम सेवा के भिन्न-भिन्न विभागों में जो काम अलग-अलग बँटे हुए थे, उनका एकीकरण किया गया, क्योंकि प्रायः एक ही क्षेत्र में अनेक विभागों के कर्मचारी तरह-तरह के काम करते थे, और एक विभाग दूसरे विभाग के कार्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता था और न ही उनमें आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध हो पाता था जब कि सभी विभागों और योजनाओं का लक्ष्य केवल गाँवों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को ऊँचा उठाना था। अतः हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तार आन्दोलन के आधार पर अपना आन्दोलन चलाने का फैसला किया, जिसका मूल ध्येय यही है कि खेती, पशु-पालन, जन-स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की जानकारी को स्कूल के बाहर, देश के प्रत्येक नागरिक के पास इस ढँग से पहुँचाएँ कि वे उसे उत्साह से अपना लें और उसे अपनी रहन-सहन की आदतों में शामिल कर लें। श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में एक बार कहा था—"हर एक विभाग को चाहिए और ऐसा सम्भव भी है, कि वे अपनी संयुक्त कार्यवाही के लिए उभय-निष्ट क्षेत्रीय

कार्यकर्ता अर्थात् सभी विकास विभागों का कार्य करने वाला एक बहुधन्धी विस्तार ग्राम सेवक रखें।"

इसी ध्येय के अनुसार इटावा की अग्रगामी विकास योजना में इस पर प्रयोग किया गया और आज सरकार इस विचार से पूर्णतया सहमत है कि ग्रामोत्थान सर्वोन्मुखी विस्तार से ही सम्भव है जिसके लिए बहुधन्धी ग्राम सेवक ही उपयुक्त हो सकते हैं।

किसानों को साक्षर बनाना है ताकि वे समय-समय पर इन विषयों पर छपी सामग्री से लाभ उठा सकें। उनमें सामाजिक जीवन के संगठन में अपने को बढ़ाने का उत्साह भी होना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब हमारे ग्राम सेवक किसान को उनके क्षेत्र में जा कर व्यावहारिक रूप से नए तरीकों से काम करके दिखाएँ। अतः विस्तार ही एक ऐसा साधन है जिसमें गाँव की सहायता की सामग्री या सलाह अनेक साधनों, विभाग एवं व्यक्तियों द्वारा किसान तक पहुँचती है।

: २ :

विस्तार का अर्थ व मूल सिद्धान्त

विस्तार का अर्थ है, कृषकों को ऐसी सहायता देना कि वे अपनी समस्याएँ स्वयं सुलझा सकें या दूसरे शब्दों में किसानों को ऐसी सहायता प्रदान करना कि वह अपनी सहायता स्वयं कर सकें। किसान को सहायता देने का यह अर्थ नहीं कि आप उनके सब कार्यों को स्वयं करने लगें, बल्कि उनसे ऐसा सम्पर्क स्थापित करें कि वे आप की सलाह तथा सुझाव को शीघ्र ग्रहण कर लें। इसके अतिरिक्त वह सुझाव ऐसा हो जिससे उसे आसानी से कुछ लाभ हो और शीघ्र ही वह आपके परामर्श का फल जान ले।

अमेरिका के लीवर स्मिथ विधान के अन्तर्गत विस्तार की परिभाषा इस प्रकार है—"खेती और घर-गृहस्थी में जिन लाभदायक और व्यावहारिक तरीकों को विद्वानों ने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया है, लोगों को उन तरीकों को अपनाने के लिये उत्साहित करना"। अमेरिका में ही विस्तार के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन हुआ है जिसका उल्लेख यहाँ आवश्यक है। प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट ने सन् १९०८ में श्री लिबर्टी हाइड बैली की अध्यक्षता में एक ग्राम जीवन आयोग नियुक्त किया जिसने अपनी रिपोर्ट में लिखा—"विस्तार का काम केवल खेती के विकास तक ही सीमित न रहना चाहिए। सफाई, स्वास्थ्य, पढ़ाई-लिखाई, घर-गृहस्थी और गाँवों की अन्य आवश्यक तरीकों की उन्नति की ओर भी कार्यकर्ताओं का ध्यान जाना चाहिए। इस तरह विस्तार का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को संगठित करनेवाली आवश्यक जानकारी को जनता के बीच फैलाना है। विस्तार कार्यकर्ता की दृष्टि रोजी कमाने के सबसे मुख्य साधन कृषि पर ही केन्द्रित न हो बल्कि वह परिवार, समाज तथा गाँव के उत्थान की ओर भी ध्यान दे।"

हमारे देश में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याएँ हैं, परन्तु उनमें सबसे बड़ी है अज्ञानता। जब तक हम उनके अन्दर नेतृत्व की भावना नहीं उत्पन्न कर देते, तब तक हम अपनी योजना में सफल नहीं हो सकते। वह नेता गाँववालों को एकत्र कर सके, उनके सामने गाँव की समस्याओं को व्यक्त कर सके और अपनी कमियों और कठिनाइयों को बताए। यह सब हमें उन्हें सिखाना है और यही विस्तार का मूल सिद्धान्त है। इनको कार्यान्वित करने के विभिन्न साधन हैं जिनका वर्णन आगे किया जाएगा।

विस्तार के मूल सिद्धान्त

विस्तार में व्यक्ति का विकास महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। व्यक्ति का उत्थान उस समय करना चाहिए जब वह अपनी समस्याओं को समझाने के योग्य हो जाए। अगर वह एक गरीब किसान है, तो उसके सामने एक समस्या है कि वह अपने छोटे खेत से कैसे अपनी आय की कमी पूरा करे। वह उन्नत क्रियाओं को अपनाने को तैयार हो। अतः विस्तार कार्यकर्त्ता उसके अन्दर ऐसी भावना उत्पन्न करे कि वह स्वयं पूछे कि कम खर्च में अधिक उपज कैसे उत्पन्न करें। कार्यकर्ता अब उसे विस्तार के साधनों द्वारा अपने कार्यों से संतुष्ट करे जिससे उसे विश्वास हो जाए कि विस्तार कार्य से उसे लाभ है। यह व्यक्तिगत विकास हुआ। अब विस्तार कार्यकर्ता और व्यक्ति मिल कर अपनी योजना बनाएँ। जब प्रत्येक की अलग-अलग योजना बन जाएगी और वे उस पर अग्रसर होंगे, तो वे स्वयं ही समाज की ओर भी दृष्टिपात करेंगे। वे सोचेंगे कि उनके गाँव की स्थिति क्या है। उनकी कमियों की ओर उनका ध्यान जाएगा और फिर वे उस पर कार्य करेंगे। अतः विस्तार में व्यक्तिगत योजना का बहुत महत्त्व है। इस सिद्धान्त को समझाने के लिये नीचे कुछ सूत्र दिए गए हैं—

यदि आप

एक वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं, तो बीज रोपिए
दस वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं, तो वृक्ष रोपिए
सौ वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं तो मानव रोपिए।

हमें अन्तिम पंक्ति से कार्यारम्भ करना है और यही विस्तार का मूल सिद्धान्त है। "मानव को रोपना" कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देना है। यही हमारी विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की आधार शिला है।

विस्तार कार्य के मूल सिद्धान्त

जन-सहयोग तथा आत्म निर्भरता :—हमारा कार्यक्रम जन-सहयोग पर निर्भर है। अधिकतम जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए जनता में आत्म निर्भरता की भावना उत्पन्न करना नितान्त आवश्यक है

अनुभूत आवश्यकताएं :—जनता हमारे कार्यक्रम को तभी स्वीकार करेगी जब हमारी योजना उनकी अनुभूत आवश्यताओं के आधार पर बनेगी।

लोक तन्त्रात्मक दृष्टिकोण :—जनता द्वारा और जनता का काम करने के लिए उनको आगे रखने में ही सफलता प्राप्त होगी।

बहुमुखी कार्यक्रम :—बहुमुखी कार्यक्रम एक दूसरे पर निर्भर रहता है, अतः पारस्परिक सहयोग का लक्ष्य सदैव सम्मुख रहना अनिवार्य है।

विभागीय एकीकरण :—बहुमुखी कार्यक्रम के लिए विभागीय समन्वय तथा सामंजस्य की पूरी आवश्यकता है क्योंकि यह कार्यक्रम अन्योन्याश्रित है, इसलिए मिलजुल कर काम किए बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

स्थानीय संस्थाओं एवं संगठनों का उपयोग :—हमारा कार्यक्रम तब तक स्थायी और स्वयं-चलित नहीं हो सकता जब तक स्थानीय संस्थाएँ तथा संगठन उन्हें अपना न लें। अतएव, पंचायत, सहकारिता, युवक दल आदि स्थानीय संस्थाओं को आगे रख कर उनका पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

स्थानीय साधनों एवं कार्यक्रमों का उपयोग तथा समृद्धि :—कार्यक्रम देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं तथा साधनों के आधार पर बनाना चाहिए। इस कारण योजना को स्थानीय साधनों, कार्यक्रम एवं समृद्धि के अनुरूप ही बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील होना चाहिए।

आधुनिक साधनों का प्रयोग :—विज्ञान एवं कला के आधुनिक साधनों के प्रयोग द्वारा ही हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, निर्धनता, गरीबी व अशिक्षा दूर कर सकते हैं तथा अपना जीवन स्तर ऊँचा कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम आधुनिक साधनों एवं अनुसन्धानों की खोज में रहें।

: ३ :

विस्तार के अंग

विस्तार के दो अंग हैं—(१) सेवा, और (२) शिक्षा। भारत की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है जो अधिकतर निर्धन और निरक्षर है। कठिनाइयों एवं असुविधाओं की गोद में वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा कर्त्तव्य इसी पिछड़े हुए ग्रामीण समाज की सेवा करना है। विस्तार कार्य आरम्भ करने से पहले हमें उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए जिन्हें जनता सबसे अधिक महसूस करती हो। अतः हम इन्हीं पर फिर विचार करेंगे—

१. समाज में अनेक वर्ग हैं और उनके भिन्न-भिन्न कार्य हैं। हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए ऐसा व्यापक कार्यक्रम बनाना है जिससे पूरा क्षेत्र एक साथ बढ़े। कुछ लोगों को खेती के अतिरिक्त उद्योग धन्धों की ओर भी आकर्षित करना होगा। शिक्षा प्रदान करने का भी काम बहुत जरूरी है।

२. दूसरी बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि आरम्भ में छोटे-छोटे कामों को लें और उस स्थान, क्षेत्र या समाज विशेष की परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुकूल अधिक आवश्यक कार्य निश्चित करके उनको पहले करें।

३. केवल आर्थिक उन्नति से ही पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि उनको अपनी कठिनाइयों को समझना, उनको प्रकट करना तथा उनको सुलझाना भी बहुत महत्त्व रखता है।

४. कार्यक्रम चलाने के पहले क्षेत्र की परिस्थितियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए।

५. विस्तार कार्य में ग्राम सेवा के विभिन्न अंगों का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उन लक्ष्यों को छोटे-छोटे लक्ष्य बना कर उन पर सभी साधनों को लगा कर एकबारगी काम किया जाए, तो सफलता निश्चय ही मिलेगी। ये लक्ष्य इस प्रकार बनाने चाहिएँ कि हमें निकट भविष्य में ही उसकी सफलता का रूप दृष्टिगोचर होने लगे।

६. विस्तार कार्य का उद्देश्य व्यक्तियों या संस्थाओं को लाभ पहुँचाने वाली सुविधाएँ बाँटना नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज की अपार शक्ति और साधनों को जानना है। हमें ऐसे साधनों का पता लगाना है जिससे गाँवों में स्वावलम्बन और आर्थिक सामर्थ्य बढ़े। अतः विस्तार कार्य का आरम्भ भौतिक साधनों से करना चाहिए।

७. विस्तार कार्य में नए काम को कराने के लिए एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बताए गए उन्नतिशील साधनों का प्रचार और व्यवहार कराने में सफलता मिले। इसके लिए काम कराने वालों को जनता का मन जीतना होगा, उनके अन्दर विश्वास पैदा करना होगा।

[शेष पृष्ठ ३२ पर]

भारत की सिंचाई व्यवस्था

बालेश्वर नाथ

मोटे तौर पर भारत में ८० करोड़ एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन है, और उसमें से सिर्फ लगभग ४० करोड़ एकड़ खेती के लायक है। इतनी जमीन में भी हर साल खेती नहीं होती। इसमें से सिर्फ करीब ५ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिसके लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिंचाई की वर्तमान सुविधाएँ बहुत सीमित हैं। इस बात का प्रयत्न अवश्य किया जा रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के द्वारा लगभग २५ करोड़ एकड़ ज़मीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जाए।

सिंचाई की दृष्टि से देश को पाँच क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। उनकी सिंचाई व्यवस्था जमीन की बनावट, मानचित्रों के द्वारा भू-अध्ययन, जमीन के नीचे के पानी की सतह, तापमानों के परिवर्तन और सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। पहले पंजाब और उत्तर प्रदेश के गंगा और सिन्धु के मैदानों तथा बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों को मिला कर भारत के उत्तर-पूर्वी भागों के बारे में विचार करना होगा। इन क्षेत्रों में मुख्यतः नदी के बहाव में आई हुई मिट्टी मिलती है और जमीन के नीचे भी पानी की सतह अच्छी है।

सदियों से इलाकों में कुओं, तालाबों और नदियों से सिंचाई होती रही है। इस क्षेत्र में कई बारहमासी नदियाँ बहती हैं, इसलिए दो-दो नदियों के बीच के दोआबों को उनके पानी से सींचना उपयुक्त जान पड़ा। आम तौर पर तरीका यह अपनाया गया कि नदी के एक किनारे से या दोनों किनारों से नहरें काट कर निचले इलाकों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। पिछले वर्षों में अपर बारी दोआब, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और गंगा की नहरों आदि से इन इलाकों में सिंचाई के लिए पानी पहुँचाया गया।

इन सिंचाई प्रणालियों ने सम्बद्ध क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन कर दिया है। मुख्य नहरें, बम्बे और नाले लाखों घनफुट पानी पहुँचाते हैं। हर सिंचाई भारी वर्षा का काम देती है। कुछ फसलें कई बार पानी माँगती है। सिंचाई के इस पानी के साथ हजारों टन कीच भी बह कर आती है जो जमीन की ऊपरी सतह पर बिछ जाती है और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ा देती है। जिन इलाकों में नहरों के जरिए सिंचाई होती है, वहाँ आम तौर पर व्यापारिक फसलें बोई जाती हैं और उनसे उन क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। कुछ इलाकों की पड़ती जमीनें, जैसे पंजाब के नहरी इलाके अब राज्य के अनाज भण्डार बन बन गए हैं।

पानी भरना

कुछ इलाकों में, जहाँ जमीन के ऊपर पानी की निकासी की ठीक व्यवस्था नहीं है, वहाँ सिंचाई की नहरों, बम्बों आदि से पानी ज़मीन में रिसता रहता है और उससे जमीन के नीचे के पानी की सतह ऊँची हो जाती है। उससे उस इलाके की जमीन में पानी भर जाता है। पंजाब के काफी बड़े-बड़े भू क्षेत्रों में यही खराबी पैदा हो गई है। इसका बहुत खराब असर होता है। जब जमीन के नीचे के पानी की सतह ऊँची हो जाती है, तो सींची जानेवाली जमीन के पानी की सतह भी ऊँची हो जाती है और उससे उपजाऊ-शक्ति घटने लगती है। सिंचाई इंजीनियरों को कई तरह से इस को रोकने का प्रयत्न करना होता है। इसलिए हरेक सिंचाई प्रणाली के साथ-साथ यह भी जरूरी हो जाता है कि पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो।

नदियों का प्रवाह मोड़ना

भारत में सिंचाई इंजीनियरिंग का स्तर काफी ऊँचा है। देश भर में सिंचाई के लिए बहुत उत्तम निर्माण कार्य किए गए हैं। जरूरतवाले इलाकों को पानी पहुँचाने का एक तरीका यह भी है कि एक नदी के पानी को मोड़ कर दूसरी में पहुँचाया जाए। नलकूपों से भी सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में नलकूप बनाने का कार्य चल रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और उनके आसपास के इलाकों में १० हजार से भी ज्यादा नलकूप मौजूद हैं। नलकूपों से सिंचाई के उपयुक्त इलाके निश्चित करने के लिए आजकल एक खोज-कार्यक्रम चल रहा है। नलकूप बनाने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों की जाँच की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का यह तरीका बहुत लाभदायक और लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। विशाल भू क्षेत्र, जिनको नहरों से पानी नहीं पहुँच सकता था, नलकूपों से सींचे जाने लगे हैं।

तटवर्ती डेल्टे

सिंचाई की दृष्टि से बंगाल की खाड़ी और मलाबार के तट के पास के डेल्टों का इलाका भी बहुत महत्वपूर्ण है। डेल्टों के उपजाऊ क्षेत्रों के लिए सिंचाई की नहरों के अलावा कावेरी पर

ग्रैंड एनीकट, विजयवाड़ा के कृष्णा एनीकट, गोदावरी पर धौलेश्वरम् एनीकट और महानदी पर नारज एनीकट का विशेष आर्थिक महत्व है। जल वायु की दृष्टि से ये इलाके अधिकतर चावल उपजाने के उपयुक्त हैं और इसलिए इनको काफी पानी की आवश्यकता रहती है। उपर्युक्त सिंचाई प्रणालियाँ इन क्षेत्रों की बहुत अच्छी तरह सिंचाई करती हैं। उड़ीसा, आन्ध्र और मद्रास में सिंचाई व्यवस्था को और बढ़ाने के कार्य चल रहे हैं। विजयवाड़ा के पासा कृष्णा नदी पर एक नया बाँध लगभग तैयार हो चुका है।

पश्चिमी तट पर सिंचाई

पश्चिमी तट के तटवर्ती इलाकों की स्थिति कुछ भिन्न है। पश्चिमी घाट से आ कर पश्चिम की तरफ बहनेवाली नदियाँ, तटवर्ती ऊँचाई से गिरते ही समुद्र में जा मिलती हैं। तटवर्ती क्षेत्र सकरा है। इसलिए जमीन की बनावट भी अलग तरह है और इसके परिणाम-स्वरूप वहाँ की सिंचाई समस्याएँ भी भिन्न हैं।

लाल मिट्टी वाले इलाके

सिंचाई की दृष्टि से, इसके बाद लाल मिट्टी वाले इलाकों की बारी आती है। इस तरह की जमीन भारत के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में मद्रास, मैसूर, आन्ध्र और मध्य प्रदेश के एक भाग में मिलती है। यह जमीन सिंचाई के लिए अच्छी होती है, लेकिन सिंचाई के छोटे-छोटे कार्य ही इसके लिए अधिक उपयुक्त रहते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत से तालाब और छोटे बाँध बने हुए हैं। इनमें वर्षा का पानी सिंचाई के लिए जमा हो जाता है, लेकिन अगर लगातार सूखा पड़े, तो ये बेकार हो जाते हैं। जमीन पर लोगों की निर्भरता बढ़ने के कारण इन क्षेत्रों में बहुत से छोटे-छोटे सिंचाई के काम किए गए हैं।

काली कपास वाली जमीन का विस्तृत क्षेत्र बम्बई और मध्यप्रदेश राज्यों तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश में है। इस तरह की जमीनों में मिट्टी ज्यादा होने के कारण पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था कम होती है और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन इलाकों में कई तालाबों और नहरों से सिंचाई की जाती है। सिंचाई के कुछ नए कार्य आजकल चल रहे हैं।

सिंचाई के लायक ज़मीनों के अलावा काफी बड़े-बड़े रेतीले क्षेत्र भी हैं। ये इलाके अधिकतर राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत में हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कहना होगा कि इन इलाकों में पानी तेजी से बह जाता है और जमीन वनस्पतियों के लिए नमी कायम नहीं रख पाती। इन इलाकों में सिंचाई की समस्या बड़ी जटिल है। नहरें आदि तो हैं ही नहीं, इसलिए जमीन के नीचे पानी की खोज करके यह पता लगाने की आवश्यकता है कि नल-कूपों से सिंचाई कर पाना सम्भव होगा या नहीं।

इन क्षेत्रों में तापमान अधिक होने के कारण जमीन की नमी उड़ जाती है, इसलिए सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि यहाँ वन लगा कर आँधियाँ कम की जाएँ और छायादार वृक्षों की वजह से तापमान में कुछ हद तक कमी हो।

दक्षिणी प्रायद्वीप के एक बड़े हिस्से में दक्षिणी पठार है। दक्षिण भारत में सदियों से चले आने वाले अगणित तालाब हैं। पिछले सौ वर्षों में सिंचाई के लिए कई तरह के निर्माण कार्य किए गए। छोटी-छोटी नदियों पर बाँध भी बनाए गए, ताकि सिंचाई की सुविधा बढ़े।

उपलब्ध पानी का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे खेतों की बनावट, सिंचाई के तरीके, ऋतु परिवर्तन, जमीन की बनावट, फसलों की विविधता, जमीन की उपजाऊ-शक्ति, फसल की अदला-बदली, सामान की बिक्री की व्यवस्था आदि में। देश में काफी पानी बरबाद जाता है। किसानों को पानी का सही उपयोग करना नहीं आता। गाँववाले यह भी नहीं समझते कि सैंकड़ों मील से लाया हुआ पानी कितना कीमती होता है। कई बार गाँवों में जाते हुए यह दिखाई पड़ता है कि नहर का पानी गाँव के कच्चे रास्ते पर भर गया है और बेकार भूमि पानी से भरी हुई है, जबकि खेत पानी के अभाव में सूखे पड़े हैं। कई कानूनों में, सिंचाई के पानी के अनुचित उपयोग के लिए दण्ड की व्यवस्था रखी गई है, लेकिन वह अपर्याप्त है और लोगों पर भी उसका कोई असर नहीं होता।

अगर हमें देशवासियों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना है और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो हमें अपने देशवासियों में पानी बचाने की आदत पैदा करनी होगी।

[भागीरथ के सौजन्य से]

★

एक वार्तालाप

बूँद-बूँद से घड़ा भरता है

जितेन्द्र कुमारगुप्त

खट्टर काका—कहो भैया, आप तो अखबारन मां दीन दुनिया के हाल-चाल पढ़त हो। आज कुछ ताजा हाल-चाल सुनाओ।

जगदीश—आज आप लोगों को एक बड़े काम की बात बताऊँ ?

सब लोग—ज़रूर सुनाइए।

जगदीश—इन दिनों चारों तरफ छोटी बचत योजना की धूम मची है। है भी यह बहुत फ़ायदे की। ऐसी कि हमारा सब का भी भला हो और देश का भी। अगर सब लोग थोड़ा-थोड़ा भी बचाएँ तो करोड़ों रुपया इक्ट्ठा हो जाएगा जिससे योजना का काम आगे बढ़ सकता है और बचानेवाले के पास वक्त बे-वक्त के लिए खासी रकम जुड़ सकती है।

खट्टर काका—वाह, खूब कही! अरे भैया, अव्वल तो सारी कमाई लगान, सूद और खाय-पिये मां चली जात है। जौन कुछ बचबौ करत है, भला ऊ योजना के काम कैसे आई। जो पैसा बचा, वह शादी बियाह, गमी, बीमारी, कपड़ा-लत्ता और ज़ेवर वगैरह के काम आता है। भगवान की दया से अगर अब की ऊख के फ़सल बढ़िया भई तो पिछला कर्जा उतार कर सोना खरीदब, बिटिया चम्पा के बियाह के लिए।

जगदम्बा—खट्टर काका, बिलकुल ठीक कहते हैं भैया, आखिर छोटी बचत योजना कोई जादू है या अलादीन का चिरताग़ जो .....

जगदीश—ठाकुर साहब, दरसल यह एक तरह का जादू है, लेकिन इसमें भूत-प्रेत या जिन्न से कोई वास्ता नहीं है। इसके बारे में पहले दो-तीन बुनियादी बातें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल उठता है कि लोग क्यों बचाते हैं ? हर कोई यह चाहता है कि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनके विवाह वगैरह के लिए रुपया जमा हो जाए। बैल या खेत खरीदने के लिए लोग बचत करना चाहते हैं। बुढ़ापे में, हारी-बीमारी और दैवी आपत्ति के समय किसी का मुँह न ताकना पड़े, इसलिए भी धन जोड़ा जाता है। इस तरह अपने स्वार्थ की भावना से प्रेरित हो कर मनुष्य ऐसा करना चाहता है और करता भी है।

इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि बचत क्या है ? आमदनी का जो हिस्सा खर्च न किया जाए, वही बचत है। इसमें एक बारीकी है, जिसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी खट्टर काका ने कहा था, मान लीजिए अगर बचाई हुई रकम से गहने बनवा लिए गए—तो उतने रुपए का चलन बन्द हो जाएगा। गहने से शौक चाहे पूरा हो जाए, लेकिन न आपको कोई फ़ायदा होगा न देश को ही।

पुरोहित जी—आपने भी खूब कही। अरे भई, जिस घर में ४-६ जेवर न हुए, वह घर ही क्या ? अलंकार तो नारी की शोभा है। और फिर अगर घर में सोना-चाँदी पड़ा रहे तो मुसीबत के दिनों में वही काम आता है। जब ज़रूरत पड़े, सोना बेचा, रुपए खरे।

जगदीश—पुरोहित जी, आपका कहना सोलहो आने सही है। लेकिन यह पुराने जमाने में ही सही थी जब बैंक वगैरह नहीं खुले थे और रुपया जमा करने की सहूलियत नहीं थी। दुनिया अब बहुत तरक्की कर चुकी है। मान लीजिए कि यदि आपने सोना या गहना नहीं खरीदा और उसे डाकखाने में जमा कर दिया या सैविंग्स सर्टीफिकेट खरीद लिए, तो उससे तीन फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा है आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, न चोर का डर न डाकू का। जब ज़रूरत हो अपना रुपया निकाल लीजिए। दूसरे, मूल ज्यों का त्यों रहेगा ही, सूद ऊपर से मिलेगा और तीसरा यह कि आज देश में जो योजना चल रही है, बड़े-बड़े बाँध, बिजलीघर, सड़कें वगैरह बन रही हैं, उनके लिए सरकार को पूँजी मिल जाएगी।

रमई—पहली बात तो समझ मां आवत है कि रुपया हिफ़ाजत से रहेगा, मुला बाकी दोनों बातें कुछ जँची नहीं ? एक तो वह हमारे रुपए की हिफ़ाज़त भी करे और ऊपर से सूद भी दे। ई कैसे हुइ सकत है ? फिर जब रुपया सरकार के पास

स्थान : चौपाल
समय : सायंकाल
जगदीश : गाँव के मुखिया का बी० ए० पास लड़का
जगदम्बासिंह : गाँव के ठाकुर
पुरोहित जी : गाँव के पुरोहित
खट्टर काका, रमई, बुधई : गाँव वाले

जमा रहेगा तो योजना पर कैसे खर्च हुई सकत है ? अगर सरकार ऊ रुपया खर्च कैरेय तो मूल कहाँ से देगी और कहाँ से ब्याज ?

जगदीश—होता यह है कि जो रुपया सरकार के पास किसी भी रूप में जमा किया जाता है, उसे सरकार योजना-कार्यों पर खर्च करती रहती है। आप रुपया जमा करेंगे और तभी निकालेंगे जब उसकी ज़रूरत होगी। सब लोग सब का सब रुपया एक साथ नहीं वापस लेते। कुछ निकालते हैं तो और लोग रुपया जमा करते रहते हैं। इस तरह लेन-देन का काम कुछ थोड़े से रुपयों से चल जाता है और बाकी रुपया सरकार ऐसे कामों में लगाती है जिनसे आगे चल कर आमदनी होती है, जैसे बाँध, नहर या बिजलीघर वगैरह। सिंचाई कर और बिजली वगैरह से आमदनी होती है, उससे ब्याज समेत पूंजी तो वसूल हो ही जाती है, कुछ रुपया और भी बच रहता है। इसीलिए, खर्च के बाद बचा हुआ जो धन लाभदायक कार्यों में लगाया जाए उसे बचत कहते हैं। अर्थशास्त्र में इसी को पूंजी लगाना कहते हैं।

पुरोहित जी—खूब, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा आयन्दा से मैं भी बचाने की भरसक कोशिश करूँगा, लेकिन भैया, अगर सब गाँववालों ने मिल कर साल में २००-४०० रुपया बचा भी लिया तो योजना के लिए कौन-सी बड़ी रकम इकट्ठा हो जाएगी।

जगदीश—अरे भाई, बिलकुल सीधी-सी बात है। मान लो कि देश भर में जितने परिवार हैं, अगर उनमें से सिर्फ़ अस्सी फ़ीसदी सिर्फ १ आना रोज़ बचाएँ तो साल भर में ६०० करोड़ से भी ज्यादा रुपया इकट्ठा हो जाएगा। दूसरी योजना में कुल जितना रुपया खर्च होना है, यह रकम उसका ग्यारहवाँ भाग है।

बुधई—ठीक ही कहते हो जगदीश बाबू, बूँद-बूँद से ही घड़ा भरत है। छोटी-छोटी हजारों नदियों के पानी से ही समुद्र में भर जात है। तुरत दान महा कल्याण। लो भैया यह रहा रुपया इसे योजना बनाने वालों के पास पहुँचाय देव। कल से एक आना रोज़ क्या ४ आने रोज़ बचाय कर जमा किया करब।

जगदीश—अरे भाई, इस तरह रुपया जमा नहीं होता। सब डाकखानों में सेविंग बैंक खाते खोले जाते हैं। वहाँ कोई भी अपने नाम से या बच्चों के नाम से खाता खुलवा सकता है। रुपया जमा करने वाले को एक किताब मिलती है जिसे पास-बुक कहते हैं। इसमें लेन देन का सारा हिसाब दर्ज किया जाता है। इसके अलावा दो किस्म के सेविंग्स सर्टीफिकेट होते हैं। एक है राष्ट्रीय योजना बचत सर्टीफिकेट और दूसरा ट्रेजरी सेविंग्स डिपाज़िट सर्टीफिकेट। पहला सर्टीफिकेट १२ साल के लिए होता है और दूसरा दस साल के लिए। अगर १०० रुपए का राष्ट्रीय योजना बचत सर्टीफिकेट खरीदा जाए, तो १२ साल बाद मय ब्याज के १६५ रुपया मिलेगा, यानी सवा पाँच फ़ीसदी का ब्याज मूल में जुड़ता जाएगा।

पुरोहित जी—लेकिन इसमें एक दिक्कत मालूम होती है। बारह साल के बाद तो १०० के बदले १६५ मिल जाएगा, परन्तु यदि बारह साल के पहले कभी रुपए की ज़रूरत पड़ी तब किसके सामने हाथ फैलाएँगे। सर्टीफिकेट में रुपया फँस गया तो चलो १ साल की छुट्टी।

जगदीश—नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर बीच में रुपए की ज़रूरत पड़ ही जाए तो सर्टीफिकेट भुनाए भी जा सकते हैं। पाँच साल पूरे होने पर भुनाया जाए तो ११६ रुपया मिलेगा, सात साल बाद १२७ और १० साल बीतने पर १४८ रुपया मिलेगा। ठीक यही बात ट्रेजरी सर्टीफिकेट के बारे में में लागू होती है। उन पर ४ फी सदी वार्षिक ब्याज मिलता है। उन्हें अगर तीन साल बीतने पर भुनाया जाए तो २ फी सदी, पाँच साल बीतने पर २.७५ फी सदी और ७ साल पूरे होने पर ३.२५ फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलेगा। चाहे मियाद पूरी होने पर भुनाया जाए या पहले, फायदा हर हालत में है।

खट्टर काका—क्या कहने हैं! इसमें तो बस फ़ायदा ही फ़ायदा है। अपने पास जो ढेर सा रुपय्या हो तो बस इसी में लगा दें। जगदीश बाबू, इस बन्दोबस्त में और तो सब ठीक है, लेकिन गरीब आदमी के पास एक मुश्त १०० रुपया न हो वह क्या करे। यहाँ तो न नौ मन तेल जुड़े न राधा नचिहैं।

जगदीश—ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कम दाम के कूपन चलाए हैं। जब जितना पैसा बचे उतने का एक कूपन खरीद लो और जब बहुत से कूपन हो जाएँ तो उनसे सर्टीफिकेट खरीद लो।

पुरोहित जी—ये कूपन कहाँ मिलते हैं?

जगदीश—डाकखाने में। अगर आप कूपन देखना चाहें तो मैं घर से ला कर दिखाऊँ। मैं तो दो साल से ऐसे ही पैसा जोड़ रहा हूँ। करीब सौ रुपए के ज़रूर हो गए होंगे।

खट्टर काका—देखो, मैं तो कल ही श्री गणेश करता हूँ।

★

भारत के मेरे कुछ अनुभव

एस्कॉट रीड

मैंने सारे भारत की, उत्तर से ले कर दक्षिण तक और पूर्व से ले कर पश्चिम तक, यात्रा की है; कभी मोटर से, कभी गाड़ी से, कभी वायुयान से तो कभी पैदल ही। मैं भारत के धूल भरे खेतों और गाँवों की गलियों में घूमा हूँ और हिमालय की पगडण्डियों पर चला हूँ। मैंने भारत के कारखाने देखे और स्कूल देखे, बाँध देखे और सामुदायिक विकास-योजना क्षेत्र देखे।

एक ओर यदि कलकत्ता की गन्दी बस्तियों में और कुछ गाँवों में मैंने हृदय विदारक दृश्य देखे, तो दूसरी ओर ऐसे प्राचीन स्मारक और तीर्थ स्थल भी देखे जिनका सौन्दर्य हृदय को आह्लादित कर देता है।

जब मैं अपने भारत प्रवास पर दृष्टि डालता हूँ तो कुछ ऐसे भारतीयों के चेहरे मेरे सामने घूम जाते हैं जो अपने स्वप्नों के भारत का निर्माण करने में जी-जान से जुटे हुए हैं।

जुदाई का दुख

मेरे सामने उस नवयुवक मुसलमान सरकारी अधिकारी का चेहरा घूम जाता है जो एक सामुदायिक विकास-योजना क्षेत्र में काम करता है और जिस पर काम का भारी बोझ है। वह यात्रा में हमारे साथ पाँच दिन तक रहा और हमें अपने योजना क्षेत्र को दिखाता रहा। फिर मेरी आँखों के सामने कलकत्ता शहर के उन दो उच्च अधिकारियों का चेहरा घूम जाता है, जो एक दिन प्रातःकाल हमें कलकत्ता की गन्दी बस्तियाँ दिखाते रहे जो सम्भवतः संसार में सबसे गन्दी हैं। जब मैं उनसे विदा हुआ, तो उन्होंने बड़े भावावेश से मुझे विदा दी, क्योंकि मैंने उनके इस कलंक को मिटाने के कार्य में रुचि ली थी। मुझे सन्त स्वभाव के एक हिन्दू वैज्ञानिक का भी ध्यान आ जाता है जो अपनी योग्यता का उपयोग एक व्यावहारिक काम करने में—कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए गवेषणा करने में—कर रहा है, क्योंकि उसे विवेकानन्द के इन शब्दों पर विश्वास है—आप खाली पेट लोगों को धर्म-कर्म नहीं सिखा सकते। फिर मुझे पंजाब के उस बूढ़े किसान का ध्यान आता है जिसने बड़े गर्व से मुझे अपनी २० एकड़ भूमि दिखाई थी जिसे उसे और उसके पुत्रों ने मिल कर साफ किया था और खेती योग्य बनाया था।

ये कुछ चित्र हैं जो सदा मेरी आँखों के सामने घूमते रहते हैं। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि वे भारत के किस रूप को प्रदर्शित करते हैं। जब मैं स्वदेश लौटूँगा तो अपने साथियों को क्या बताऊँगा कि भारत किस प्रकार का है?

मेरा अनुभव है कि पाश्चात्य देशों का कोई व्यक्ति जितना अधिक समय भारत में रहता है, उतना ही अधिक वह महसूस करता कि अपनी राजनीतिक क्रान्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए और उसे आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति का रूप देने के लिए भारत कितना अनथक प्रयत्न कर रहा है।

यह भार कुछ तो समस्याओं की बहुलता के कारण और कुछ समस्याओं की जटिलता के कारण है, जो शताब्दियों से नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों से यहाँ की जनता का अंग बन चुका है। कुछ यह इसलिए भी है कि एक समस्या को हल करने में अनेक व्यक्तियों और चीज़ों की आवश्यकता होती है।

कल्पनातीत जनसंख्या

मैं इस समय भारत की जनसंख्या के बारे में नहीं सोच रहा, हालाँकि ४० करोड़ की जनसंख्या भी चक्कर में डाल देने वाली है। मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ कि इतनी विशाल जनसंख्या की व्यक्तिगत समस्याएँ कितनी बड़ी हो सकती हैं।

उदाहरण के लिए मैं उस समय दर असल चकित रह गया था, जब मुझे यह पता लगा कि भारत में प्रतिवर्ष १ करोड़ २० लाख बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिवर्ष भारत के सम्मुख जच्चा-बच्चा के लिए जितने व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करने की समस्या है, वह कनाडा की कुल आबादी के तीन चौथाई भाग की व्यवस्था करने के बराबर है। कनाडा की कुल जनसंख्या १ करोड़ ६० लाख है।

जब मुझे ज्ञात हुआ कि भारत में ६ से १४ वर्ष की अवस्था वाले ८ करोड़ लड़के-लड़कियाँ हैं, तभी मैं यह समझ सका कि इन सब के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना कितना विशाल काम है।

मुझे मालूम है कि आप अपने पशुओं की नस्ल सुधारना चाहते हैं, और इसका एक तरीका है कृत्रिम गर्भाधान। पर

श्री एस्कॉट रीड कुछ समय पूर्व तक भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर थे।

१६ करोड़ पशुओं के लिए कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है और फिर आप १६ करोड़ पशुओं के साथ साथ साढ़े चार करोड़ भैंसों, ४ करोड़ भेड़ों और ५ करोड़ बकरियों की भी तो नस्ल सुधारना चाहते हैं।

आपकी समस्याएँ इतनी अधिक हैं, इतनी दुःसाध्य हैं, इतनी बड़ी हैं, इतनी विविध हैं और इतने क्षेत्रों—क्या राजनीतिक, क्या आर्थिक और क्या सामाजिक—की हैं कि आपसे कम साहसी लोगों का तो हौसला ही पस्त हो जाए।

१९५७ के भारत को देख कर मुझे १९४० के ब्रिटेन की याद आ जाती है। १९४० की गर्मियों में सिवाय ब्रिटिश लोगों के, ब्रिटेन के सम्बन्ध में सबने आशा छोड़ दी थी। ब्रिटेन ने हार की सम्भावना मानने से इन्कार कर दिया और अन्त में विजयश्री ने उसे माला पहनाई। यह ब्रिटेन निवासियों का साहस था, यह उनके खून और पसीना एक करने का परिणाम था कि उन्हें विजय मिली।

गरीबी और अज्ञानता

जब मैं भारत में घूमा, तो मैंने जनता में वह साहस और उमंग देखी जिसके कारण ब्रिटेन युद्ध में जीता था। एक बड़े बाँध के एक निरीक्षक इंजीनियर से, सामुदायिक योजनाओं के एक निर्देशक से, एक छोटे से अस्पताल के एक डाक्टर से, एक नए औद्योगिक नगर के एक अध्यापक से बातचीत करते समय मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि इन्हें अपने जिन शत्रुओं—गरीबी, बीमारी और अज्ञानता, रिश्वत खोरी और जातीयता—का मुकाबला करना पड़ रहा है, उनके खतरों से वे परिचित हैं। उन्हें मालूम है कि ५ या १० वर्षों में इन बुराइयों को खत्म नहीं किया जा सकता। पर वे लगातार उनका मुकाबला करते जाएँगे और उन्हें विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी।

चूँकि भारत में इतने उत्साही व्यक्ति विद्यमान हैं, इसलिए परिस्थिति उतनी बुरी नहीं, जितनी लगती है। मुझे विश्वास है कि भारत के लोग अपने काम में सफल होंगे क्योंकि उनका दिल मजबूत है। और भारत जो सफलता प्राप्त करेगा वह केवल भौतिक ही नहीं होगी। "प्रसन्नता का रहस्य है स्वतन्त्रता और स्वन्तत्रता का रहस्य है दिल की मजबूती।" क्योंकि भारतवासियों का दिल मजबूत है और इसलिए वे अपनी राजनीतिक आज़ादी से आर्थिक और सामाजिक आजादी भी प्राप्त कर सकेंगे और यह आज़ादी उन्हें प्रसन्नता प्राप्त कराने में सहायक होगी।

मुझे अपनी यात्रा में भारत दिन-प्रति दिन आगे बढ़ता हुआ नज़र आया। कहीं तेजी से प्रगति हो रही थी तो कहीं धीमी गति से। पर प्रगति सब जगह हो रही थी।

भारत की बादशाही

स्विटजरलैंड के एक भाई हमारे साथ यात्रा में रहे थे। गाँवों में उन्होंने जितना दारिद्रय देखा, उतना पहले कभी नहीं देखा था। इतने दारिद्रय का उन्हें ख्याल भी नहीं था। वे मुझ से कहने लगे, 'यह सब मैं देखता हूँ, परन्तु आश्चय इस बात का है कि उनके चेहरे पर दुःख नहीं, आनन्द ही दीखता है। इसका कारण क्या है?' हमने कहा—'यह भारत का चमत्कार है। दुख में भी वे हँसते हैं रोनी सूरत आप को बहुत कम दीखेगी। घर में बहुत दारिद्रय होगा, पर दोपहर में कभी उनके यहां जाकर रहिए, वे आपको खिलाए बगैर नहीं भेजेंगे। यह भारत की बादशाही है। भारतीय कहता है कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ।'

— विनोबा

मैं भारत में ज्यादा समय तक नहीं रहा। पर जितना समय मैं भारत में रहा हूँ, वह बदलते हुए भारत का दिग्दर्शन कराने के लिए पर्याप्त था। मैंने अपनी आँखों देखा है कि जहाँ पहले जंगल था, वहाँ अब एक नई औद्योगिक बस्ती बन गई है, जो भूमि पहले बंजर पड़ी थी, वहाँ हरी-भरी फसल लहलहा रही है, जहाँ घाटियाँ थी, वहाँ झीलें बन गई हैं, और सबसे बढ़ कर सामुदायिक योजना क्षेत्रों के कुछ गाँवों में मैंने देखा कि वहाँ के जीवन और कृषि में एक नई आर्थिक एवं सामाजिक क्रान्ति शुरू हो रही है।

भारत का प्रतीक

दिल्ली में रहनेवाली राजस्थान की मजदूर औरतें मुझे न केवल दिल्ली की, बल्कि सारे भारत की प्रतीक लगती हैं। ये वे देहाती औरतें हैं जिनका इस निष्ठुर दुनिया में अपना कहने को कुछ भी नहीं। पर इस गरीबी से उनका दिल नहीं टूटा और न ही काम करने का हौसला पस्त हुआ है। अपनी झोंपड़ी से निकल कर प्रसन्नतापूर्वक आह्लादित मन से काम करने जाती हैं। यही आह्लाद और प्रसन्नता ऐसी चीज़ है जो उन्हें गरीबी के बावजूद भी अमीर बना रही है।

भारत की समृद्धि देश के सन्तों, अध्यापकों तथा विद्वानों की बुद्धिमत्ता के कारण अथवा पर्वतमालाओं और बड़े बड़े मन्दिरों के अनुपम दृश्यों के सौन्दर्य के कारण नहीं, अपितु उसके निवासियों के गौरव तथा आह्लादित रहने की इस भावना के कारण ही है।

बच्चों को स्नान कराती है

पढ़ना-लिखना सिखाती

सैर-सपाटे को ले जाती

कान्ता कालिया दिल्ली से १७ मील दूर रंगपुरी गाँव में ग्राम सेविका है। प्रातः-काल ६ बजे से उसकी दिनचर्या शुरु होती है। घर-घर में जाकर वह बच्चों को इकट्ठा करती है और फिर.....

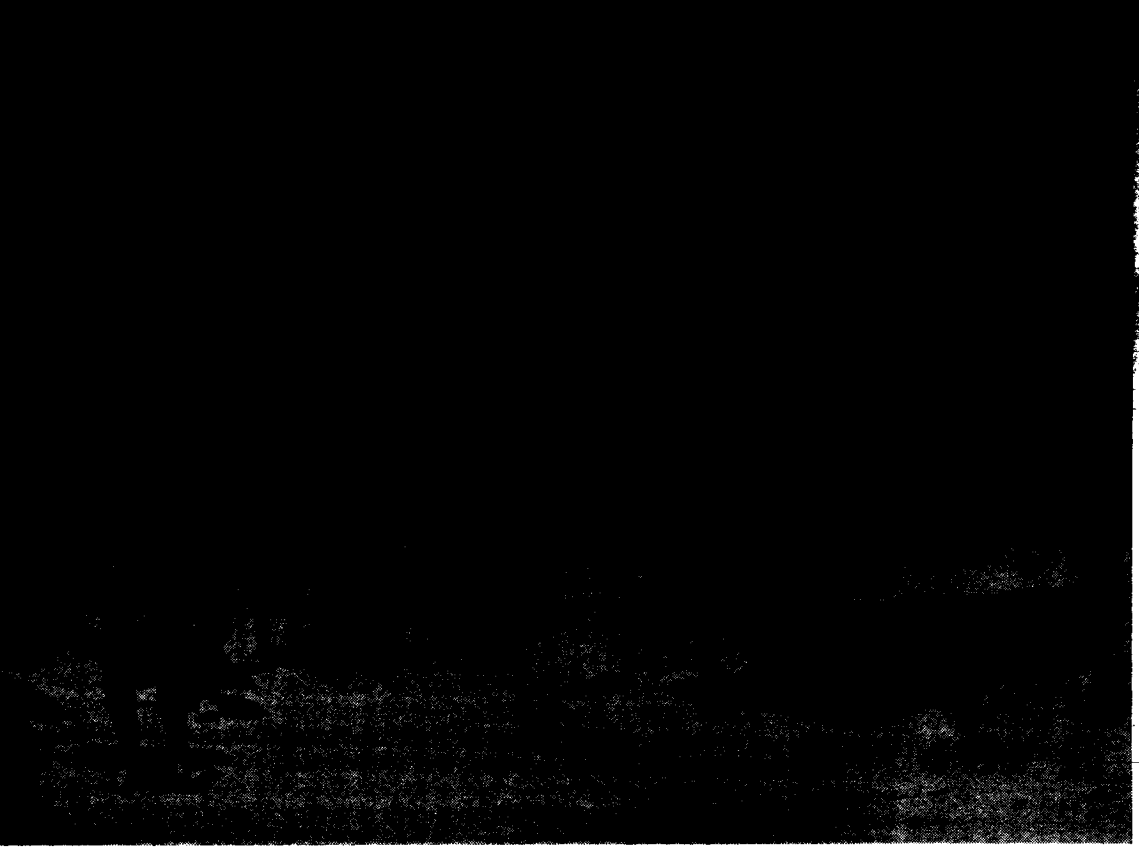

दोपहर को घरों को वापस ले जाती है

शाम को खेल सिखाती है

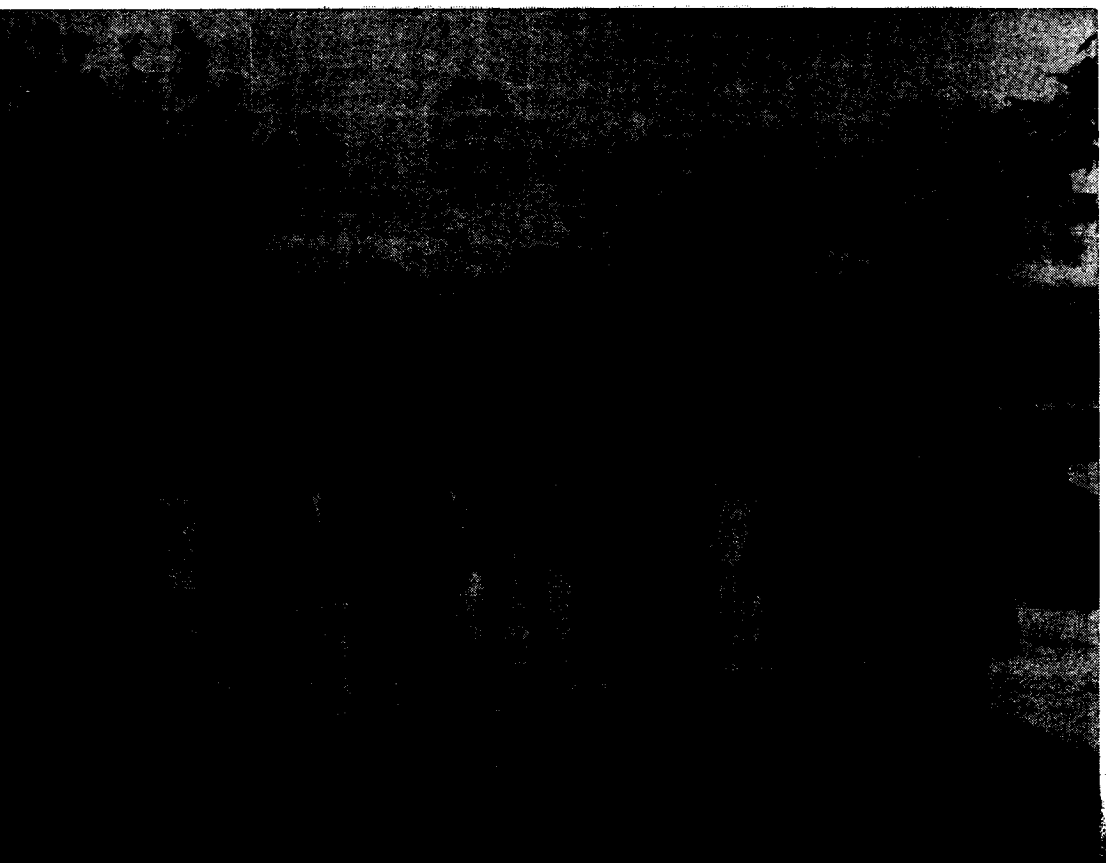

महिलाओं के लिए कार्यक्रम बनाती है

गृहस्थी के कामों के बारे में उचित सलाह देती है

और रात को दिन भर के कार्यों से निवृत्त होकर डायरी लिखती है

काकिनाड़ा (आन्ध्र) पाइलट योजना

पी० एम० मथाई

अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, दस्तकारी मण्डल, लघु उद्योग मण्डल और अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल के प्रतिनिधियों के साथ मैं पाइलट योजना (घरेलू व लघु उद्योग), काकिनाड़ा (आन्ध्र) देखने गया। इस दौरे में उद्योग निर्देशक श्री एस० आर० काइवार, सामुदायिक विकास-योजना अधिकारी (उद्योग) श्री राघवराव और अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के प्रादेशिक निर्देशक श्री पी० वी० राघवन भी हमारे साथ थे।

खादी

यह इलाका कई वर्षों से खादी की गतिविधियों का केन्द्र रहा है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल ने नागुलापल्ली, पिठापुरम्, कुण्डवरम् आदि केन्द्रों में खादी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ३८ गाँव हैं जिनमें लगभग ६,००० कातनेवाले और ४५० खादी बुनकर हैं। हमें बताया गया कि १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में और १९५६-५७ की पहली तिमाही में खादी मण्डल ने ५ लाख रुपए की खादी तैयार की और इन्हीं १५ महीनों में धुनियों, कातनेवालों और बुनकरों आदि को वेतन के रूप में २,६५,००० रुपए दिए। मण्डल के इन कार्यों से लगभग ६,००० कातनेवालों, बुनकरों, धुनियों और उद्योग से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को रोज़गार मिला।

अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र

यहाँ पर तीन एकक (यूनिट) खोलने का प्रस्ताव है जिनमें १५० अम्बर चरखे होंगे। पाइलट योजना क्षेत्र में काम तुरन्त शुरू करने के लिए छोटे एकक खोलने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। चालू वर्ष में कुल १,००० अम्बर चरखे स्थापित करने का विचार है। मण्डल अभी तक नागुलापल्ली, पिठापुरम् और कुण्डवरम् में जो तीन केन्द्र खोल चुका है, उनमें ५० चरखे और १०० कातनेवाले हैं। पाइलट योजना क्षेत्र के किरलमपुण्डी, येरावरम् और कोत्तापल्ली स्थानों में भी केन्द्र खोलने का विचार है। क्षेत्र में इस समय भी दो परिश्रमालय ही हैं जिनमें १५० कातनेवाले काम करते हैं। यहाँ पर अम्बर चरखा कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि सब सम्बद्ध अधिकारी इस बारे में सहयोग दे रहे हैं।

राज्य खादी मण्डल

राज्य खादी मण्डल को एक अनुविहित संस्था का रूप देने के लिए विधेयक तैयार किया जा रहा है। यह विचार है कि विलय के बाद सारे आन्ध्र राज्य को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद अनुविहित मण्डल का पुनर्गठन किया जाए।

तेल-घानी प्रदर्शन केन्द्र

भारतीय तिलहन समिति ने ग्रामीण तेल उद्योग के लिए एक प्रदर्शन केन्द्र चलाने की एक योजना को स्वीकृति दी है जिस पर ५,००० रुपए व्यय किए जाएँगे। इस योजना को कार्यान्वित करने का काम सामलकोट के विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र के प्रिंसिपल को सौंपा गया है। आदर्श केन्द्र के लिए एक वर्धा घानी और एक नूतन किस्म की घानी ली जा चुकी है। यह आदर्श केन्द्र हाल में ही खुला है और दोनों घानियों का उपयोग हो रहा है। हमारे दौरे के समय अखिल भारतीय खादी मण्डल के अध्यक्ष भी वहाँ उपस्थित थे। वह उन ग्राम सेवकों को विशेष निर्देशन दे रहे थे जो तेल की घानियों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। नई घानी के काम की विधि और उसमें जो सुधार किया गया है, उसे भी प्रदर्शित किया जा रहा है।

हथकरघा मण्डल

इस पाइलट योजना की अवधि में ही इस क्षेत्र के हथकरघों का १०० प्रतिशत विकास करने के लिए हथकरघा मण्डल एक योजना स्वीकार कर चुका है। जहाँ तक १९५६-५७ के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार १,२४,०६२ रुपए ८ आने ऋण के रूप में और ७२,५८० रुपए अनुदान के रूप में स्वीकार कर चुकी है। इस स्वीकृति के आदेश आन्ध्र सरकार को भेजे जा चुके हैं।

हथकरघे

समझा जाता है कि इस क्षेत्र में १५,००० हथकरघे हैं, जिनमें से १३,००० सहकारी समिति के अन्तर्गत काम कर रहे हैं। एक विचित्र बात यह है कि अधिकतर बुनकर, समिति के प्रति वफादार नहीं हैं। समिति के रजिस्ट्रार के अनुसार यह तो यहाँ की परम्परा ही है। मेरी राय में यह बात बहुत गम्भीर है क्योंकि हथकरघों के बुनकरों को सहकारी आधार पर संगठित करने को बहुत महत्व दिया गया है। उनके वफादार न होने का कारण यह बताया गया कि समिति उन्हें पूरा रोज़गार नहीं दे पाती और इसलिए उन्हें फिर महाजनों और करघों के निजी मालिकों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। फलतः वे समिति से अलग होने पर मजबूर होते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल को विशेष ध्यान देना चाहिए। एक और कारण यह बताया गया कि सहकारी बैंक को चालू पूंजी के

रूप में जो धन दिया गया है, वह पिछले काफ़ी समय से बुनकरों को नहीं मिला। कुछ ही दिनों से बुनकरों को यह रकम मिलने लगी है, और यह भी समिति सदस्यों के एक वर्ग को ही। एपेक्स कोआपरेटिव बैंक प्रायः ऋण देने में संकोच करता है। स्टेट एपेक्स वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी के प्रधान ने मुझे बताया कि अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल ने जितनी रकम बैंक को दी है, उसका केवल ६० प्रतिशत भाग बुनकरों में बाँटा गया है। बुनकर को समय पर सहायता नहीं मिल पाती और इस कारण समिति के प्रति उसकी निष्ठा डिग जाती है। मैं समझता हूँ कि अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल को इस बारे में विचार करना चाहिए ताकि सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जा सके। साथ ही एपेक्स बैंक को भी प्रेरित करना चाहिए कि वह बुनकरों की एक कल्याणकारी राज्य के नागरिकों के रूप में सहायता करे।

औद्योगिक बस्ती

औद्योगिक बस्ती बनाने के लिए सामलकोट में जगह चुनी गई है। यह जगह रेलवे स्टेशन के बिलकुल पास है। हमें बताया गया कि विस्तृत योजना तैयार की जा रही है और उद्योग निर्देशक ने इसे शीघ्र पूरा करने का वचन दिया है। लघु उद्योगों की बस्ती की योजना को तेज़ी से पूरा करने के लिए प्रादेशिक संस्था भी सभी प्रकार की सहायता देगी।

उद्योग विभाग

श्री काइवार ने बताया कि दूसरी योजना के अन्तर्गत आन्ध्र राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया गया है। ये जगहें अभी तक इसलिए नहीं भरी जा सकीं कि एक तो योग्य व्यक्ति नहीं मिले और दूसरे भर्ती में देरी हुई है। पर इस समस्या पर विचार किया जा रहा है और ये अधिकारी यथाशीघ्र नियुक्त किए जाएँगे।

श्री एम० विश्वेश्वरय्या की गाँवों के औद्योगीकरण की योजना इस पाइलट प्रोजेक्ट के क्षेत्र में लागू है। कई कारीगरों को ऋण और अनुदान के रूप में सहायता दी गई है। यह ऋण व्यक्तिगत ज़मानत पर कारीगरों को ही दिए गए हैं। मेरे विचार में व्यक्तिगत रूप से ऋण देने से तो सहकारी आन्दोलन की जड़ ही कट जाएगी। राज्य सरकार के विचारार्थ यह सुझाव दिया गया कि जिन ग्रामोद्योगों को सहकारी समितियों की मार्फत अखिल भारतीय मण्डलों से सहायता या ऋण मिलते हैं, उनमें व्यक्तिगत रूप से ऋण नहीं दिए जाने चाहिएँ।

विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, सामलकोट

यह केन्द्र दिसम्बर १९५२ में शुरू हुआ था। भारत में सब से पहले जो ३४ केन्द्र खुले, यह उनमें से एक है। एक-एक करके यहाँ पर गृह विज्ञान शाखा, गाँव के कारीगरों के लिए एक वर्कशाप योजना, और पंचायत एक्जीक्यूटिव अधिकारियों के लिए एक प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए। विस्तार के अतिरिक्त यहाँ कृषि का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। केन्द्र के प्रिंसिपल वहाँ और अधिक ग्रामोद्योग खोलने के इच्छुक थे। ग्राम सेवकों के भोजन में वह केवल हथकुटे चावल का ही उपयोग होने देते हैं। विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र में तेल घानी उद्योग चालू है। चावल की हथकुटाई शुरू करने के बारे में भी विचार हुआ। यह फैसला किया गया कि अखिल भारतीय खादी मण्डल के हथकुटाई विभाग का राज्य विकास अधिकारी जल्दी ही आ कर केन्द्र को देखे और इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तैयार करे।

औद्योगिक समितियाँ

बातचीत में हमें पाइलट योजना के सामुदायिक विकास-योजना अधिकारी (उद्योग) ने बताया कि यहाँ का सहकारी विभाग तेल पेरनेवालों, चावल की हथकुटाई करनेवालों और चमड़े के कारीगरों की सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन करने में हिचकिचाता है और देर लगाता है। सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार ने कहा कि इस देरी को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभाग को पहले यह देखना होता है कि ये समितियाँ टिक भी सकती हैं या नहीं। विभाग का अब तक का अनुभव अच्छा नहीं है। औद्योगिक समितियाँ किस प्रकार सुदृढ़ आधार पर चल सकती हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर राज्यों और केन्द्र के सम्बद्ध मन्त्रालयों को विचार करना चाहिए। वास्तव में चाहिए तो यह कि घरेलू उद्योगों के लिए जितने भी मण्डल बनाए गए हैं, वे सहकारी समितियों की मार्फत ही कारीगरों को सहायता दें। यदि सहकारी विभाग इन समितियों को जल्दी रजिस्टर नहीं कर सकता, तो गाँव के कारीगरों को जल्दी सहायता भी नहीं दी जा सकती। जहाँ तक मुझे पता है, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग मण्डल ने एक समिति भी नियुक्त की है। मुझे विश्वास है कि घरेलू और लघु उद्योगों के विकास के लिए दूसरे अखिल भारतीय मण्डल भी इस प्रश्न पर विचार करेंगे। यह तो एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर योजना आयोग को भी विचार करना चाहिए। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने औद्योगिक समितियों के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय के जिस गोदाम विधेयक को संसद ने पारित किया है, उसमें भी घरेलू उद्योगों द्वारा बनाए गए सामान को गोदामों में रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यदि भारत सरकार की नीति यह है कि कारीगरों को सारा धन सहकारी समितियों की मार्फत मिले, तो यह भी आवश्यक है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण को सरल बनाया जाए और सहकारी विभाग को कार्य के अनुरूप क्षम बनाया जाए।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

असम

भारत सरकार ने १९५७-५८ में असम में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की १२ योजानाएँ स्वीकृत की हैं। ये इस प्रकार हैं—

सिंचाई, पौधों की रक्षा, यान्त्रिक खेती, बीज-वितरण, मछली पालन का विकास और खाद आदि।

इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने ६१ लाख ४६ हजार रुपए की सहायता देना स्वीकृत किया है। इसमें से ५३ लाख ९८ हजार रुपए ऋण और शेष ७ लाख ४८ हजार रुपए अनुदान के रूप में होंगे।

इनमें से वन-विकास और मछली पालने की योजनाएँ विशेष हैं। इनके लिए केन्द्र ने २ लाख रुपए ऋण और १ लाख ४५ हजार रुपए अनुदान दिया है।

अनुमान है कि बिजली से सिंचाई करने की जो योजना है, उससे ४२०० एकड़ भूमि को लाभ होगा, जिसके परिणामस्वरूप १८९० टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा होंगे। इस कार्य के लिए केन्द्र ने १ लाख ३४ हजार रुपए ऋण और २८,४१५ रुपए अनुदान स्वीकृत किया है।

अनाज और दालों के बीज के वितरण की एक योजना भी केन्द्र ने स्वीकृत की है। इसके अनुसार ३९,७०० मन बीज अन्य राज्यों से वहाँ मंगाकर किसानों में बाँटा जाएगा। इस योजना के लिए केन्द्र ने ६६,१६७ रुपए की सहायता देना मंजूर किया है।

जम्मू और काश्मीर

जम्मू और काश्मीर राज्य के लिए १९५७-५८ में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत ५० योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें ४० छोटी सिंचाई योजनाएँ हैं। इनमें नहरों, तालाबों, बाँधों आदि का निर्माण भी शामिल है।

अन्य योजनाएँ मछली पालन उद्योग के विकास, स्थानीय साधनों से खाद के निर्माण और अच्छी किस्म के बीज वितरण के सम्बन्ध में हैं।

इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ३८ लाख ४५ हजार रुपए की सहायता देगी। इसमें से २६ लाख ४९ हजार रुपए ऋण के रूप में और ११ लाख ९६ हजार रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएँगे। इसके अलावा कम दर पर ३,६७१ टन अमोनियम सल्फेट और ५०० टन यूरिया खरीदने के लिए ३ लाख १ हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।

छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने २५ लाख ८० हजार रुपए का ऋण और ८ लाख ४५ हजार रुपए का अनुदान देना स्वीकार किया है।

हैदर नहर योजना पर लगभग ३ लाख रुपए खर्च होगा जिसे केन्द्रीय सरकार देगी। इसमें से १ लाख ४० हजार रुपए अनुदान के रूप में और १ लाख ६० हजार रुपए ऋण के रूप में होंगे। "सखी शिलवत" लिफ्ट के लिए २ लाख रुपए का ऋण देना भी स्वीकार किया गया है।

२ लाख ८० हजार रुपए की ३ अन्य योजनाओं के लिए भी सरकार ने रुपया देना स्वीकार किया है। इसमें से २ लाख ५० हजार ऋण तथा ३० हजार रुपए अनुदान के रूप में होंगे।

मछली पालन योजनाओं के लिए ४३,७३७ रुपए का ऋण तथा ३०,००० रुपए का अनुदान देना स्वीकार किया गया है।

कम दर पर १,६६,२५० टन बढ़िया किस्म के बीज बाँटने के लिए २ लाख २१ हजार रुपए का अनुदान देना स्वीकार किया गया है। स्थानीय साधनों से खाद बनाने के लिए ८,४०० रुपए के अनुदान की व्यवस्था की गई है।

बम्बई

भारत सरकार ने १९५७-५८ के 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत बम्बई राज्य के लिए ५८ योजनाएँ स्वीकृत की हैं।

इनमें से २५ मछली पालन की तथा ११ सिंचाई योजनाएँ हैं। केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं के लिए क्रमशः ७६ लाख ९२ हजार रुपए तथा ६ लाख २३ हजार रुपए का ऋण देना स्वीकार किया है।

मछुवा सहकारी समितियों को मछली मारने का साज-सामान देना ही मछली योजनाओं का उद्देश्य है। इसके लिए केन्द्र ने २९ हजार ७५० रुपए की सहायता तथा १ लाख ७१ हजार रुपए का ऋण देना स्वीकार किया है। मछली पकड़ने में मशीनों के उपयोग के लिए ३ लाख २४ हजार रुपए का ऋण और १ लाख ३६ हजार रुपए का अनुदान स्वीकार किया है। मछली-उद्योग

के अन्य कामों में सुधार करने के लिए भी ५ लाख रुपए का ऋण स्वीकार किया है।

सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाकर अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए ११ योजनाएँ स्वीकार की गई हैं। नए कुएँ खोदने तथा पुराने कुओं की मरम्मत करने के लिए ७ लाख ३६ हजार रुपए का ऋण और ६२,६७० रुपए का अनुदान स्वीकार किया है।

नदियों के किनारे तथा कुओं में बिजली से चलने वाले पम्प लगाने के लिए २६ लाख ३४ हजार रुपए का ऋण स्वीकार किया गया है। सहकारिता के आधार पर सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी ४,३८,००० रुपए का ऋण तथा ७८,७५० रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

अच्छे बीज और रासायनिक खाद के वितरण, पौधों की रक्षा, भूमि-सुधार और कूड़े से खाद बनाने के लिए भारत सरकार बम्बई राज्य को २ लाख ६६ हजार रुपए का ऋण तथा ६ लाख ६२ हजार रुपए की सहायता देगी।

किसानों को पौधों की रक्षा के लिए साज-सामान खरीदने के लिए ५७,४७५ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को कम दर पर गेहूँ, धान तथा अन्य खाद्यान्नों और तरकारियों के बीज देने के लिए बम्बई को ६०,५१३ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

राज्य के किसानों को कम दर पर उर्वरक तथा खाद देने के लिए १ लाख ६६ हजार रुपया देना स्वीकार किया गया है। इसके अलावा शहर के कूड़े-करकट से खाद बनाने के लिए भी १ लाख रुपए दिए जाएँगे।

भूमि-सुधार, मशीनों से खेती आदि तथा एक ट्रैक्टर केन्द्र खोलने के लिए १४ लाख ४३ हजार रुपए की सहायता देना स्वीकार किया गया है।

मध्य प्रदेश

भारत सरकार ने १९५७-५८ के लिए मध्य प्रदेश के 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत ५३ योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इनमें से अधिकांश योजनाएँ सिंचाई की सुविधाओं में सुधार, भूमि सुधार तथा मछली पालन उद्योग में वृद्धि की हैं।

अन्य योजनाएँ किसानों को उर्वरक, खाद, अच्छी किस्म के बीज तथा औजार देने की है।

केन्द्रीय सरकार ने कुल १ करोड़ ३५ लाख ६७ हजार रुपए की सहायता देना स्वीकार किया है। इसमें से १ करोड़ १० लाख ४० हजार रुपए ऋण के रूप में तथा २५ लाख २६ हजार रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएँगे।

सरकार ने सिंचाई के लिए नए कुएँ खोदने तथा पुराने कुओं की मरम्मत के लिए ४२ लाख ३६ हजार रुपए का ऋण तथा १८ लाख २६ हजार रुपए का अनुदान देना स्वीकार किया है। नदियों के तट पर तथा कुओं पर बिजली से पानी खींचने के यन्त्र लगाने के लिए २० लाख १२ हजार रुपए का अनुदान दिया है।

सरकार ने मछली पालन के लिए २ लाख ६६ हजार रुपयों की १३ योजनाएँ स्वीकार की हैं।

उर्वरक वितरण योजना के अन्तर्गत किसानों को १२,६०० टन सुपर फास्फेट बाँटा जाएगा। इसके लिए ३ लाख ६७ हजार रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। कूड़े की खाद बनाने तथा वितरण के लिए १ लाख ६६ हजार रुपए का अनुदान स्वीकार किया गया है।

ऊसर भूमि के सुधार के लिए २७ हजार रुपए के अनुदान की व्यवस्था है। भोपाल में भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने की योजनाओं को चालू रखने के लिए ३१ हजार २५० रुपए का अनुदान स्वीकार किया गया है।

अन्य योजनाओं में अच्छी किस्म के बीजों के वितरण, फसल के रोगों की रोकथाम, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए तकावी ऋण के लिए अग्रिम धन देने की हैं।

मैसूर

१९५७-५८ में मैसूर राज्य के 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने २३ योजनाएँ स्वीकार की हैं।

इन में से दो योजनाएँ सघन खेती—कूड़े की खाद और अच्छे बीजों का वितरण—के सम्बन्ध में है। इन योजनाओं के अन्तर्गत ३,४०,२६० एकड़ भूमि आएगी और २२,५६५ टन अधिक अन्न का उत्पादन होगा।

मैसूर सरकार इस वर्ष ६८,००० मन बढ़िया बीज, ३,६८३ टन सुपर फास्फेट और ५०० टन हड्डी की खाद बाँटेगी। इसके अलावा १,०१,३०० टन कूड़े की खाद तैयार की जाएगी और बाँटी जाएगी।

इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ३ लाख १६ हजार रुपए का अनुदान देगी।

रबी के मौसम में ४० सामुदायिक योजना केन्द्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों और ४० अन्य खण्डों में स्थानीय रूप से खाद तैयार करने की व्यवस्था की गई है। किसानों को कूड़े से

खाद तैयार करना सिखाया जाएगा। योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार २ लाख १४ हजार रुपए देगी।

अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई के लिए कुएँ बनाए जाएँगे, बिजली और डीजल के पानी खींचने के इंजन और रहट दिए जाएँगे, मछली पालन उद्योग का विकास किया जाएगा, पौधों की रक्षा की जाएगी और बेकार भूमि को खेती के योग्य बनाया जाएगा।

इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ६० लाख रुपए ऋण के रूप में और २ लाख ६३ हजार रुपए अनुदान के रूप में देगी।

सिंचाई के लिए पानी खींचने वाले पम्पों को बिजली से चलाने के लिए ३८ लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। किसानों को बिजली और डीजल से चलने वाले २६३ पम्प किस्तों पर देने के लिए राज्य सरकार को ४ लाख ४० हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा। सिंचाई के लिए १,१०८ कुएँ बनाने की योजना के लिए ३ लाख ३० हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा। छोटे तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए १० लाख ७६ हजार रुपए दिए जाएँगे। इन योजनाओं के अन्तर्गत १०,००० एकड़ भूमि आएगी और ३,१७३ टन अधिक अन्न का उत्पादन होगा।

मछली पालन की योजना के अन्तर्गत ३ लाख ८६ हजार रुपए का ऋण और १ लाख ५४ हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

खेती की भूमि के विस्तार के लिए सरकार परती जमीन को खेती योग्य बनाने के खर्च का २५ प्रतिशत देगी। यह अनुमान है कि ६०० एकड़ परती भूमि पर खेती शुरू की जाएगी। इसके लिए १४ हजार रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएँगे।

रियायती दामों पर कृमि नाशक दवाएँ बाँटने की योजना से ५० हजार एकड़ भूमि को लाभ पहुँचेगा और १० हजार टन अन्न की बचत होगी।

हिमाचल प्रदेश

भारत सरकार ने १६५७-५८ में हिमाचल प्रदेश में अन्नोत्पादन बढ़ाने की १३ योजनाएँ स्वीकार कर ली हैं। ये योजनाएँ उर्वरक और अच्छे बीजों के वितरण, खेती के औजारों की खरीद, मछली उद्योग के विकास, सिंचाई-सुविधाओं को बढ़ाने, धान की पौधशालाएँ (नर्सरी) खोलने तथा खाद बनाने के स्थानीय साधनों के विकास के सम्बन्ध में हैं।

केन्द्र ने इन योजनाओं के लिए १८ लाख ४६ हजार रुपए के ऋण तथा १७ लाख ५३ हजार रुपए के अनुदान मंजूर किए हैं।

४५ अन्य छोटी सिंचाई-योजनाओं के लिए १४ लाख ८८ हजार रुपए की सहायता स्वीकार की गई है।

उर्वरक-वितरण योजना के अन्तगत किसानों को ५५० टन अमोनियम सल्फेट, २५ टन यूरिया तथा ३०० टन सुपर फास्फेट सस्ते मूल्य पर दिया जाएगा। इस काम के लिए ६६,४५० रुपए के अनुदान और २ लाख ५२ हजार रुपए के अल्पकालिक ऋण भी स्वीकार किए गए हैं। कूड़े-करकट से खाद बनाने का काम सिखानेवालों तथा चुने हुए किसानों के प्रशिक्षण के लिए १ लाख १० हजार रुपए के अनुदान तथा मल-मूत्र से खाद बनाने के लिए २८,००० रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

किसानों को गेहूँ, धान तथा अन्य अनाजों के २,६०० मन अच्छे बीज बाँटने के लिए ५,८०० रुपए अनुदान तथा २५,००० रुपए अल्पकालिक ऋण के रूप में मंजूर किए गए हैं।

मछली उद्योग के विकास के लिए कुल २७,११२ रुपए के अनुदान स्वीकार किए गए हैं।

जापानी तरीके से धान की खेती कराने के लिए हिमाचल प्रदेश में १-१ एकड़ में २४ पौधशालाएँ खोलने के लिए केन्द्र ने ७,२०० रुपए देना स्वीकार किया है।

त्रिपुरा

१६५७-५८ में त्रिपुरा के 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के लिए ४ योजनाएँ तैयार की गई हैं। ये योजनाएँ उर्वरक बाँटने, किसानों को अच्छा बीज देने और मछली पालन का विकास करने के बारे में हैं।

इन योजनाओं के लिए केन्द्र ४ लाख ११ हजार रुपए की सहायता देगा। इसमें से २ लाख ६५ हजार रुपए ऋण के रूप में और १ लाख ४६ हजार रुपए सहायता के रूप में दिए जाएँगे।

उर्वरक बाँटने के लिए १ लाख ३६ हजार रुपए अनुदान के रूप में और २ लाख ३१ हजार रुपए अल्पकालीन ऋण के रूप में देना स्वीकार किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को ६०० टन अमोनियम सल्फेट और १०० टन सुपर फास्फेट बाँटा जाएगा। ये उर्वरक रियायती दामों पर बाँटे जाएँगे।

१६,००० रुपए का ऋण इस उद्देश्य से दिया जाएगा कि मछली पालन के विकास में लगे लोगों और सहकार संस्थाओं को ऋण दिया जा सके।

मछली-पालन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ७,३५० रुपए का अनुदान देगी। मछली पालन के काम में रसायनों, मत्स्य-बीज आदि पर जो लागत आती है, यह राशि उसकी आधी है। इतनी ही रकम अग्रिम धन के रूप में दी जाएगी जो बाद में मछियारों से वसूल की जाएगी।

रियायती दामों पर १ हजार मन अच्छा बीज बाँटने की योजना के अन्तर्गत ८ हजार रुपए अल्पकालीन ऋण और २ हजार रुपए सहायता के रूप में दिए जाएँगे।

मसूरी सम्मेलन की सिफारिशें

: ३ :

देहातों में घर-निर्माण

एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में घर निर्माण की मद में ६०,००० रुपए तक ऋण देने की व्यवस्था की जाती है। इस राशि में योजना कर्मचारियों के घर-निर्माण का व्यय भी शामिल है। पर इस रकम में तो मुश्किल से कर्मचारियों के ही क्वार्टर बन सकते हैं। इस तरह गाँवों में मकान बनाने के लिए तो थोड़ी-सी ही रकम बच सकती है। सामुदायिक विकास खण्ड में इस मद में डेढ़ लाख रुपए तक ऋण देने की व्यवस्था है। इन सामुदायिक खण्डों में गाँवों में मकान बनाने के लिए काफी कुछ राशि बच रहती है।

सम्मेलन की सिफारिशें संक्षेप से इस प्रकार हैं :

प्रत्येक खण्ड में कुछ चुने हुए गाँवों के लिए, जहाँ के लोग सहायता मिलने पर स्वयं भी मेहनत करने को तैयार हों, मास्टर प्लान बनाए जाएँ। स्थानीय उपलब्ध सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए, कुछ डिज़ायनों के मकान नमूने के रूप में बनाए जाएँ, ग्राम सेवकों और दूसरे कार्यकर्त्ताओं के लिए जो क्वार्टर बनाए जाएँ, वे स्थानीय परिस्थितियों और वातावरण के अनुकूल हों और उनका डिज़ायन ऐसा हो जिसे गाँववाले भी अपनाना पसन्द करें, मकानों का सामान जैसे ईंट, चूना, टाइल आदि बनाने के लिए सहकारी समितियाँ बनाई जाएँ, और प्रत्येक राज्य में देहाती मकान निर्माण संगठन बनाएँ जाएँ जो दूसरी योजना के देहाती मकान निर्माण के कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करें।

आदिम जाति कल्याण

आदिम जाति कल्याण के विषय पर आदिम जाति क्षेत्रों के खण्डों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया गया। आदिम जाति क्षेत्रों के खण्ड असम, बिहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में हैं। यह फैसला किया गया कि ऐसे खण्डों का क्षेत्र इतना छोटा कर दिया जाए कि वहाँ २५,००० या लगभग इतने व्यक्ति रहते हों। आजकल इन खण्डों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—पहले वे जिनके लिए साधारण तथा खण्ड के बजट की राशि में से व्यवस्था की जाएगी, दूसरे वे जिनके लिए गृह मन्त्रालय से १५ लाख रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। यह राशि उन १२ लाख रुपयों के अतिरिक्त है जो सामुदायिक विकास खण्डों के लिए रखी गई है। दूसरे प्रकार के खण्डों के भरपूर विकास कार्यक्रम के लिए २७ लाख रुपए व्यय किए जाएँगे। इस कार्यक्रम में आदिम जाति के लोगों की समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसे खण्डों को विशेष बहूद्देशीय आदिम जाति खण्ड कहा जाएगा।

सम्मेलन ने उन कठिनाइयों पर भी विचार विमर्श किया जो आदिम जातियों में विकास-कार्यक्रमों को लागू करने में आएँगी। साथ ही चालू योजनाओं में सुधार के सम्बन्ध में सुझावों पर ध्यान दिया गया।

छोटे और ग्रामोद्योग

सामुदायिक विकास योजनाओं में छोटे और ग्रामोद्योगों का कार्यक्रम सदैव ही एक चिन्ता का विषय रहा है। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न स्तरों पर इस बात के बारे में विचार-विमर्श जारी है कि स्थिति कैसे सुधारी जाए। विकास आयुक्तों के पिछले सम्मेलन भी सारे विषय का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि भविष्य में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि छोटे और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में कितनी सफलता मिलती है। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में औद्योगिक विकास के लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाएँ। संसद की आकलन समिति ने भी सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रमों के बारे में हाल की अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कृषि के क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में इतनी प्रगति नहीं हुई कि भूमि पर लोगों का दबाव कम किया जा सके। इसलिए राज्यों को ग्रामोद्योगों के विकास पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना खेती की पैदावार पर दिया जाता है।

साधनों की कमी को देखते हुए यह विचार प्रकट किया गया कि प्रत्येक खण्ड में एक निर्धारित आकार का न्यूनतम कार्यक्रम बनाना सम्भव न होगा। यदि इस कार्य को सन्तोषजनक रूप से चलाना हो, तो यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा काल में ग्रामोद्योगों के लिए कुछ राशि रख ली जाए। यह सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय

विस्तार सेवा खण्ड के बजट में इस काम के लिए १०,००० रुपए की व्यवस्था की जाए। यह भी सिफारिश की गई कि सामुदायिक विकास खण्डों के बजट में ग्रामीण कला, दस्तकारी और उद्योगों के लिए जो राशि निर्धारित की गई है, उसे व्यय करने पर किसी किस्म का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। आजकल निर्देश मिला हुआ है कि यह राशि उन्हीं उद्योगों पर व्यय की जाए जिन उद्योगों पर अखिल भारतीय मण्डल व्यय नहीं करते। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अखिल भारतीय मण्डलों ने जितने धन की व्यवस्था की है, उससे सब खण्डों में काम नहीं चलाया जा सकता, यह आवश्यक है कि ग्रामीण कलाओं, दस्तकारियों और उद्योगों के लिए निर्धारित राशि को व्यय करने का अधिकार खण्ड कर्मचारियों को ही सौंप दिया जाए और इस सम्बन्ध में किसी किस्म का प्रतिबन्ध न हो। औद्योगिक बस्ती के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखे गए, सम्मेलन ने प्रायः उनसे सहमति प्रकट की।

सम्मेलन की यह राय थी कि आजकल छोटे उद्योगों के बारे में जैसी गवेषणा और विस्तार एजेंसी स्थापित करना सम्भव नहीं तथापि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत जो गवेषणा संस्थाएँ काम कर रहीं हैं, उनमें से ही एकाध ग्रामोद्योगों के बारे में भी गवेषणा कर सकती हैं। गवेषणा के नतीजों को कारीगरों तक पहुँचाने के लिए इन संस्थाओं का उपयोग किया जा सकता है : (क) ग्रामोद्योग मण्डल, जहां कहीं वे हों और उनके कर्मचारी और संगठक, तथा (ख) राज्य सरकारों के ग्रामोद्योगों से सम्बद्ध विभाग और उनके कर्मचारी।

सामुदायिक विकास खण्डों में खण्ड स्तर उद्योग अधिकारी यह काम अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। काम करते समय जो समस्याएँ उठ खड़ी हों, उन्हें केन्द्रीय गवेषणा संस्था में भेजा जा सकता है, जहाँ वे उचित संस्थाओं को सौंप दी जाएँ।

सम्मेलन ने इस सुझाव से सहमति प्रकट की कि छोटे कारीगरों को अपना काम चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए। समय पर और पर्याप्त ऋण देने की समस्या दोनों प्रकार के कारीगरों के लिए ही है, एक वे जो जमानत दे सकते हैं, और दूसरे वे जो जमानत नहीं दे सकते।

सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि आजकल जो विभिन्न संस्थाएँ कारीगरों को ऋण आदि देती हैं, उनके काम में समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएँ। यह भी सिफारिश की गई कि ग्रामोद्योगों के बने जो पदार्थ सहकारी समितियों की मार्फत बेचे जाएँ, उन पर कुछ समय तक बिक्रीकर और चुंगी आदि न ली जाए।

जनस्वास्थ्य और सफाई

मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

जनस्वास्थ्य और चिकित्सा कार्यक्रम को अच्छी तरह चलाने के लिए सब स्तरों पर और हर समय निकटतम सम्पर्क रहना चाहिए। बजट में जिन कामों की व्यवस्था की गई है, उन सबको पूरा करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से जिले के सिविल सर्जन या जिला स्वास्थ्य अधिकारी पर होनी चाहिए। इस काम के लिए खण्ड विकास अधिकारी, जिलाधीश और जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच हर समय सम्पर्क रहना अत्यन्त आवश्यक है।

सम्मेलन ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड काल के लिए प्रस्तावित न्यूनतम कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। साथ ही सम्मेलन ने यह सुझाव भी दिया कि राष्ट्रीय विस्तार के स्तर पर भी सन्तति नियमन और जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े भी एकत्र किए जा सकते हैं।

सूचना और जन सम्पर्क

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में ७०० सूचना और सामुदायिक केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित अवधि में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। लक्ष्य यह है कि दूसरी योजना के अन्त तक प्रत्येक खण्ड के मुख्यालय में एक सूचना और सामुदायिक केन्द्र खोल दिया जाए। १९६०-६१ तक हमारा लक्ष्य ४,८०० सूचना केन्द्र खोलने का है। सम्मेलन की सिफारिशें संक्षेप से सिफारिशें इस प्रकार हैं—

सम्मेलन ने सिफारिश की कि एक ओर तो खण्ड का उद्घाटन होते ही खण्ड विकास अधिकारी को अपने कार्यालय के किसी कमरे में ही (यदि दूसरी जगह उपलब्ध न हो) सूचना केन्द्र खोल देना चाहिए। दूसरी ओर सूचना और प्रसार मन्त्रालय तथा सामुदायिक विकास मन्त्रालय, बिना इस बात का विचार किए कि उनके यहां सूचना केन्द्र का अलग मकान है या नहीं, उनको सभी सामग्री भेजते रहें।

प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विज्ञापन निर्देशालय आजकल जितना प्रकाशन कर रहा है, वह देश की १३ प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है। पब्लिकेशन्स डिवीजन भी अपने सारे प्रकाशन प्रादेशिक भाषाओं में निकालने लगा है।

कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों ने 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका के बारे में एक शिकायत की कि उसमें राज्यों की गतिविधियों

को पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता। यह सिफारिश की गई कि 'कुरुक्षेत्र' की पृष्ठ संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जाए ताकि राज्यों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

अधिकतर राज्यों में सम्पर्क समितियाँ बनाई गई हैं जो सूचना केन्द्रों को चलाने के बारे में निर्देश देती हैं। यह अनुभव किया कि उनका कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया जाए ताकि वे राज्य में चलनेवाले सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के प्रचार कार्य से सम्बन्धित सभी मामलों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

प्रादेशिक भाषाओं में खण्ड सलाहकार समिति के सदस्यों के लिए आवश्यक साहित्य की कमी सर्वत्र अनुभव की जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए कुछ राज्यों ने प्रादेशिक भाषाओं में पत्रिकाएँ प्रकाशित करनी शुरू कर दी हैं। अन्य राज्यों को भी उनका अनुकरण करना चाहिए।

जन सहयोग

कार्यक्रम शुरू करने के समय से ही जन सहयोग प्राप्त करने के महत्व को समझा जा रहा है। इसलिए जन-संस्थाओं यथा पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के विकास और स्थानीय जनता में से ही नेता तैयार करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम शुरू करने के काफी जल्दी बाद ही सरकार के इस कार्यक्रम को, जिसमें जनता से सहयोग की प्रार्थना की जाती थी, जन-कार्यक्रम में बदलने का लक्ष्य रखा जिसमें सरकार केवल सहयोग ही देगी। पर यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह परिवर्तन करने में अभी बहुत मामूली सफलता ही मिली है। जन संस्थाएँ बनाने में और स्थानीय जनता में से ही नेता तैयार करने के काम में भी पर्याप्त सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह लगता है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुनियोजित ढंग से काम शुरू किया ही नहीं गया।

सम्मेलन ने गाँवों में काम चलाने के लिए नेता तैयार करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया। यह अनुभव किया गया कि ग्राम नेता प्रशिक्षण शिविर लगाने का वर्तमान कार्यक्रम चालू रखा जाए और जिन राज्यों में यह चालू नहीं है, वहाँ इसे तुरन्त चालू किया जाए। खण्ड के कर्मचारियों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि ग्राम नेता को अपने गाँव में स्वयं ही कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, सफाई, सहकारिता आदि गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और खण्ड में ही आवश्यकतानुसार विशेष विषयों के लिए प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना चाहिए।

यह सिफारिश की गई कि प्रत्येक ग्राम सेवक के क्षेत्र में वर्ष में एक बार ग्राम नेता प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। विशेष विषयों के प्रशिक्षण शिविर दो या तीन दिन के भी हो सकते हैं। साधारणतया किसी शिविर में ५० से ज्यादा प्रशिक्षार्थी न हों। यदि एक वर्ष में एक खण्ड में ५०० नेताओं को इन शिविरों में प्रशिक्षण दिया जाए, तो खण्ड के कर्मचारियों को इस योग्य होना चाहिए कि वे १०० से १५० व्यक्तियों को विशेष विषयों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित कर सकें और इस हिसाब से सामुदायिक विकास खण्ड-काल तक ६०० से ९०० व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

अध्ययन-यात्राएँ

सम्मेलन ने चुने हुए पंचों और सरपंचों को अध्ययन यात्राओं पर भेजने और पंचायत विस्तार अधिकारियों, पंचायत सचिवों, सरपंचों और पंचों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव भी मान लिया। उपसमिति की राय थी कि यह दोनों ही योजनाएँ चालू की जाएँ क्योंकि एक योजना दूसरी योजना की विकल्प नहीं हो सकती। पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण काल तीन महीने तक का हो सकता है।

कृषक युवकों का विनिमय

कृषक युवकों के आपसी विनिमय के प्रस्ताव से साधारणतया सहमति जताई गई। यह विनिमय निम्न स्तरों पर होना चाहिए—

(१) एक जिले के विभिन्न खण्डों में (२) एक राज्य के विभिन्न जिलों में (३) अन्तर्राज्यीय और (४) अन्तर्राष्ट्रीय।

विभिन्न स्तरों पर विनिमय-यात्राओं की अवधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिश की गई—

(१) जिले के विभिन्न खण्डों में एक सप्ताह तक, (२) राज्य के विभिन्न जिलों में दो सप्ताह तक, और (३) विभिन्न राज्यों में एक महीने तक।

[क्रमशः]

उपसमिति की बैठक में नेहरू जी पधारे

मसूरी सम्मेलन में नेहरू जी के साथ

एस. एन. भट्टाचार्य

"सच पूछो तो मैं उस समय कुछ गड़बड़ा-सा गया था", मेरे मित्र ने उत्तर दिया। मैंने उससे पूछा था कि जब प्रधान-मन्त्री मसूरी सम्मेलन की एक उपसमिति की बैठक मे उपस्थित थे, तो तुम्हें कैसा लगा ?

उसी दिन कुछ समय पहले प्रधानमन्त्री ने छठे विकास आयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दोपहर के भोजन बाद लोगों ने प्रधान मन्त्री से कुछ विश्राम करने की प्रार्थना की क्योंकि उसी दिन शाम को उन्हें वापिस चकराता लौट जाना था। पर उन्होंने उत्तर दिया—"नहीं, मैं तो विचार-विमर्श में जरूर भाग लूँगा।"

और इसलिए वह विकास मन्त्री के साथ बैठक में पधारे और अपनी जगह बैठ गए। उस समय उपसमिति युवक संगठनों पर विचार कर रही थी—किस तरह उन्हें मजबूत बनाया जाए और किस तरह उसके सदस्यों को और अधिक सक्रिय बनाया जाए।

सदा की भाँति सब तरह के सुझाव और विचार प्रस्तुत किए गए। सब इस बात से सहमत थे कि स्कूलों में पढ़ते समय ही उन्हें उचित शिक्षा दी जाए। एक सुझाव यह भी आया कि उनकी पढ़ाई का एक वैज्ञानिक आधार होना चाहिए।

"पर आप यह सब करेंगे कैसे ?" प्रधानमन्त्री ने अचानक ही यह प्रश्न पूछ लिया। उससे पहले वह शान्तिपूर्वक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे।

काफ़ी पशोपेश के बाद जवाब मिला कि इस बारे में उन्हें लैक्चर दिए जाएँगे।

"पर गाँवों में लैक्चर देगा कौन ?" जवाब पाने के लिए प्रधान मन्त्री को काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। काफ़ी देर बाद यही विचार सामने आया कि गाँव का अध्यापक ही यह काम करेगा।

"हमें जबानी जमा खर्च की जगह कुछ काम की बातें करनी चाहिएँ। क्या आप समझते हैं कि गाँव का अध्यापक वैज्ञानिक विषय पढ़ा सकता है और वह भी स्कूल के बच्चों को ? आपके कितने एम० एससी० यह काम कर सकते हैं ?"

इस तरह सिफ़ारिश की अवास्तविकता की ओर उन्होंने सब का ध्यान खींचा। फिर उन्होंने कुछ ठोस सुझाव भी दिए। समिति ने अन्त में जो सिफ़ारिश की, वह कुछ इस प्रकार थी—बच्चों में चार्टों, माडलों, खिलौनों और छोटी-छोटी सरल मशीनों व उपकरणों की सहायता से वैज्ञानिक और प्राविधिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए। साथ ही उन्हें मशीनी उपकरणों को खुद जोड़ने और चलाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाए।

उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी सुनाया। चेकोस्लोवाकिया के बाटा नगर में बच्चों का एक अपना संग्रहालय है। इसे उन्होंने एक वर्कशाप में बदल लिया है और वहाँ जो माडल रखे हुए हैं, उनके नमूने पर वे छोटी-छोटी चीज़ें बनाते हैं। रूस के एक स्कूल में उन्होंने देखा कि बच्चे लकड़ी और मिट्टी जैसी साधारण चीज़ों से बाँधों के माडल तैयार कर रहे थे।

"भारत में ही समुद्र तट पर जा कर देखिए। वहाँ छोटे-छोटे लड़के और लड़कियाँ रेत से ही किले बनाते रहते हैं। उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति पैदा कीजिए और उन्हें उचित वातावरण में पनपने दीजिए।"

एक सदस्य ने सुझाया कि उन्हें प्रकृति का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। उन्हें आस-पास मिलनेवाले पौधों, फूलों और पक्षियों के नाम आने चाहिएँ। एक अन्य सदस्य ने सुझाया कि उन्हें तितलियों के भी नाम जानने चाहिएँ। पर छोटे-छोटे बच्चों से यह सब कुछ जानने की आशा करना ज्यादती ही है।

इसलिए प्रधानमन्त्री ने पूछा—"तितलियों की तो बात छोड़िए, भला आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पचास पक्षियों के भी नाम जानते हैं?" उन्होंने कुछ आवेश में कहा—"पहले उन्हें अपने गाँव, अपने राज्य और अपने देश—भारत के बारे में जानने दीजिए। पहले उन्हें भारत के भूगोल, इतिहास और संस्कृति से परिचित होना चाहिए।"

किन्तु प्रधान मन्त्री के पास समय बहुत कम था। उन्हें तीन और उपसमितियों की बैठकों में भी सम्मिलित होना था। इसलिए उन्हें जाना पड़ा।

"उनकी उपस्थिति से हमें बड़ा लाभ हुआ", मैंने उपसमिति के अध्यक्ष से बातचीत चलाते हुए इसलिए कहा कि मैं उनके भी विचार जानना चाहता था। अध्यक्ष ने जवाब दिया—"मैंने उनसे एक बड़ी बात सीखी है। वह बात यह है कि सिफ़ारिश करना तो आसान होता है, पर उसे अमल में लाना मुश्किल। इसलिए केवल ऐसे सुझाव दिए जाने चाहिएँ जो अमल में लाए जा सकें।"

★

निर्माण करो

—कुन्तलकुमार जैन—

मिट गए गगन के दाग सभी
मर चुके धरा के दीप सभी
पूरब में फूटी एक किरण

जौड़ों से कलरव गान उठा
भौंरे गूंजे, कलियाँ चटकीं
हो गया आज युग का प्रभात
धरती का कण-कण बोल रहा।

मुट्ठी में भर हँसिया कुदाल
जीवन पथ पर अभियान करो
भूखे न मरें, भूखों न जियें
ऐसे युग का निर्माण करो

अधरों पर थिरकें मुस्कानें
हर एक दृष्टि से दृष्टि मिले
जीवन जीवन में भेद न हो
ऐसा दिल में विश्वास पले

हर एक मनुज हो स्वयं ज्योति
आलोक धरा पर छा जाए
ऐसे युग का निर्माण करो।

घरेलू उद्योगों की प्रगति

१९५६-५७ में खादी तथा ग्रामोद्योग, दस्तकारी और रेशम के कीड़े पालने की योजनाओं में काफी प्रगति हुई। घरेलू उद्योग के प्रतिवेदन में बताया गया कि १९५६-५७ में भारत सरकार ने खादी उद्योग के लिए ६ करोड़ ३५ लाख रुपए का अनुदान और लगभग ४ करोड़ ८२ लाख रुपए का ऋण देना स्वीकार किया। इसमें अम्बर चर्खा भी शामिल है। इससे पहले साल लगभग ५ करोड़ २४ लाख रुपए का अनुदान और १ करोड़ ८७ लाख रुपए का ऋण दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने १९५५-५६ में समाप्त ४ वर्षों में खादी के विकास के लिए १२ करोड़ ८६ लाख रुपए की सहायता स्वीकार की थी। इसमें से योजना चलानेवाली संस्थाओं ने लगभग १२ करोड़ ३२ लाख रुपए खर्च किया था।

१९५६-५७ में ४ करोड़ ६३ लाख रुपए के मूल्य की २ करोड़ ४० लाख गज़ से भी ऊपर खादी (अम्बर खादी के अलावा) तैयार हुई। इस वर्ष ५ करोड़ ९५ लाख रुपए की खादी बिकी, जबकि इससे पहले वर्ष ४ करोड़ २६ लाख रुपए की खादी बिकी थी।

इसके अलावा जो लोग अपने लिए ही खादी तैयार करते हैं, उन्होंने लगभग १ करोड़ २६ लाख रुपए की खादी तैयार की। ऐसे लोगों की संख्या १९५६-५७ में ५,८७,००० थी, जबकि १९५३-५४ में इनकी संख्या केवल ३८ हजार थी।

रोजगार में वृद्धि

१९५६-५७ में खादी के उत्पादन में लगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ कर १३ लाख ८३ हजार हो गई, जो १९५५-५६ की संख्या से ४ लाख २९ हजार अधिक है। इसके अलावा अम्बर चर्खा कार्यक्रम भी इसी वर्ष आरम्भ किया गया, इसमें ५३ हजार व्यक्ति काम कर रहे हैं।

१९५६-५७ में ग्रामोद्योगों को भी ४ करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता स्वीकार की गई। इससे इन उद्योगों को लाभ पहुँचा—तेल उद्योग, अखाद्य तेलों से साबुन बनाना, हाथ से धान कूटने का उद्योग, ताड़ गुड़, ग्राम चमड़ा उद्योग, गुड़ और खण्डसारी, मधुमक्खी-पालन, मिट्टी के बर्तन बनाना और रेशे के काम का उद्योग।

इस वर्ष तेल के लिए ४५ आदर्श उत्पादन-केन्द्र खोले गए और २ हज़ार से भी अधिक सुधरी किस्म की घानियों में उत्पादन शुरू किया गया। गाँव में तैयार तेल के लिए ५५० बिक्री एजेंसियाँ खोली गईं। चमड़ा उद्योग के लिए १४२ चलते-फिरते केन्द्र और ६ प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खोले गए। चमड़ा रंगने के भी २६ आदर्श कारखाने खोले गए।

दियासलाई उद्योग के विकास के लिए 'घ' श्रेणी के १८६ कारखाने खोले गए। विभिन्न प्रकार के साबुन बनाने के १६० केन्द्र खोले गए और हाथ से बने कागज के २५ नए कारखाने खोले गए।

इस वर्ष काम सिखाने के कार्यक्रम पर काफी जोर दिया गया। विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग सिखाने के लिए काफी संख्या में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए।

१९५६-५७ में दस्तकारी के विकास के लिए राज्य सरकारों को ३४ लाख ४० हजार रुपए से अधिक का अनुदान और १६ लाख ६० हजार रुपए का ऋण दिया गया।

प्रायोगिक केन्द्र

अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल ने अनेक काम खुद शुरू किए, जैसे गवेषणा, बिक्री, भारत और विदेशों में प्रदर्शनी, दस्तकारी का काम सिखाना और दस्तकारी के निर्यात में वृद्धि मण्डल ने १९५६-५७ के अन्त तक १८ प्रायोगिक केन्द्र आयोजित किए। इनमें से ६ प्रायोगिक प्रशिक्षण-केन्द्र, ३ प्रशिक्षण तथा उत्पादन-केन्द्र, २ उत्पादन-केन्द्र और ७ गवेषणा तथा प्रयोग-केन्द्र हैं। बंगलौर, कलकत्ता और बम्बई में क्षेत्रीय डिज़ायन-केन्द्र और दिल्ली में १ छोटा डिज़ायन-केन्द्र खोला गया।

इस वर्ष निर्यात बढ़ाने की ओर भी काफी ध्यान दिया गया। प्रेग, लन्दन, पेरिस, अकरा, नेरोबी और सीटल की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारतीय दस्तकारी की बनी चीज़ें भी रखी गईं। रूस और चेकोस्लोवाकिया ने दस्तकारी का काफी सामान मँगाया।

रेशम के कीड़े पालने के लिए भी राज्य सरकारों के विभागों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस वृद्धि से जो खर्चा बढ़ेगा, उसका ५० प्रतिशत भारत सरकार देगी। १९५६-५७ में इसके लिए राज्यों को ३३ लाख २१ हज़ार रुपए का अनुदान देना स्वीकार किया, जिसमें से उन्होंने १९ लाख रुपए खर्च किए।

इस वर्ष ३ बड़ी योजनाएँ स्वीकार की गईं—मैसूर में कच्चे रेशम की बिक्री के लिए सहकारी संस्था खोलना, पश्चिम बंगाल में रेशम लपेटने का आधुनिक तरीका शुरू करना और जम्मू तथा काश्मीर में विदेशी किस्म के कीड़े पालने का केन्द्र। केन्द्रीय रेशम मण्डल, रेशम के कीड़े पालने की योजना चलाने के बारे में शिक्षा देने के लिए एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण संस्था खोलने पर विचार कर रहा है।

प्रगति के पथ पर

भूमि के कटाव को रोकने की ६९ योजनाएँ स्वीकृत

भारत के नौ राज्यों और तीन केन्द्रशासित क्षेत्रों में १९५७-५८ में भूमि-कटाव को रोकने का काम बड़े व्यापक रूप से किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिए कुल मिला कर ६९ योजनाएँ स्वीकार की हैं।

इसके अलावा, ज़मीनों का सर्वेक्षण करने, उनकी उपजाऊ-शक्ति का अध्ययन करने और किसानों को भूमि की रक्षा करने के तरीके समझाने के लिए गवेषणा तथा प्रदर्शन-केन्द्र भी खोले जाएँगे।

अनुमान है कि इन योजनाओं पर कुल १ करोड़ २५ लाख ४४ हजार रुपए खर्च होगा। इसमें से केन्द्रीय सरकार १ करोड़ १ लाख ९२ हजार रुपए देगी—७० लाख ६४ हजार रुपए ऋण के रूप में और ३१ लाख २८ हजार रुपए सहायता के रूप में।

मद्रास राज्य की भू-संरक्षण योजना के द्वारा तिरुवन्नमलई और कुड्डलोर में वन लगा कर २०,५०० एकड़ जमीन का सुधार किया जाएगा। अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कटी हुई जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा, कण्टूर बन्द बनाए जाएँगे और राज्य के चिंगलपुट तथा तिरुचिरापल्ली जिलों में भू-संरक्षण के उपाय किए जाएँगे। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने १३,८९,००० रुपए के ऋण और २ लाख ३९ हजार रुपए की सहायता की स्वीकृति दी है।

बम्बई राज्य में भू-संरक्षण कार्यों के लिए १७ योजनाएँ स्वीकार की गई हैं। उनके लिए केन्द्रीय सरकार ने ३१ लाख १० हजार रुपए के ऋण और ७ लाख ४१ हजार रुपए की सहायता की स्वीकृति दी है।

केरल राज्य के लिए ३ योजनाएँ स्वीकार की गई हैं और केन्द्रीय सरकार उनके लिए ६ लाख ८२ हजार रुपए देगी।

तेलंगाना क्षेत्र में बंद बनाने, साहिबनगर में गवेषणा तथा प्रदर्शन केन्द्र खोलने और पाण्डुरथी के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, विशाखापत्तनम आदि में भू-संरक्षण के कार्य करने के लिए आन्ध्र प्रदेश की तीन योजनाएँ स्वीकार की गई हैं। इनके लिए ४ लाख ९८ हजार रुपए का ऋण तथा ३ लाख ७६ हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए भी भू-संरक्षण योजनाएँ स्वीकार की गई हैं।

पंजाब की सिंचाई योजनाएँ

दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब की पाँच सिंचाई और बहुमुखी योजनाएँ शामिल की गई हैं। इनसे ६ लाख २४ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इनमें कुछ योजनाएँ तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरी होंगी। इनका कुल खर्च ७ करोड़ ८७ लाख रुपया आँका गया है, जिसमें से ४ करोड़ ४ लाख रुपए दूसरी योजना में खर्च किया जाएगा। इस अवधि में इन योजनाओं से लगभग १ लाख ७८ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

२ करोड़ ४५ लाख रुपए की लागत से बननेवाली गुड़गाँव नहर से गुड़गाँव जिले की १,०६,४०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। दूसरी योजना की अवधि में इससे लगभग ५० हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। यह नहर दिल्ली के समीप ओखला में जमना से निकाली जाएगी। करनाल और दिल्ली में नहरों को चौड़ा करने के लिए ७५ लाख रुपए की एक योजना है जिससे ७५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसमें से ४५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में होने लगेगी। यह योजना इस साल या अगले साल चालू हो जाएगी और १९६०-६१ तक पूरी हो जाएगी।

एक योजना पश्चिमी यमुना नहर को रेवाड़ी तथा इसके समीपवर्ती इलाकों तक ले जाने की है, जिससे दूसरी योजना में ४० हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। आशा है कि ५६ लाख रुपए की यह योजना १९६०-६१ तक पूरी हो जाएगी।

पहली योजना की जो महत्त्वपूर्ण योजनाएँ दूसरी योजना में भी चालू हैं, उनमें भाखड़ा-नंगल योजना प्रमुख है। दूसरी योजना में भाखड़ा-नंगल से सिंचाई के लिए १७ करोड़ ७८ लाख रुपए रखे गए हैं। इससे दूसरी योजना की अवधि में लगभग २३,४७,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

छोटे उद्योगों में ५८ लाख रुपए का माल तैयार

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास के लिए बनाई गई २६ प्रारम्भिक योजनाओं में से ९ में ३१ दिसम्बर, १९५६ तक घरेलू तथा छोटे उद्योगों में कुल ५८,५५,००० रुपए का माल तैयार हुआ।

ये २६ प्रारम्भिक योजनाएँ शिमला में मई १९५५ में हुए विकास आयुक्तों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बनाई गई थीं। प्रत्येक योजना को लागू करने का उद्देश्य यह है—समन्वित और संगठित ढंग से घरेलू तथा छोटे उद्योगों का विकास करना, औद्योगिक विस्तार सेवा के लिए अच्छा तरीका निकालना और घरेलू तथा छोटे उद्योगों के समक्ष आनेवाली कठिनाइयों के हल ढूँढ़ने के लिए प्रयोगशाला के रूप में काम करना।

गाँवों तथा उद्योगों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए ग्रामोद्योग-कार्यक्रमों का महत्त्व बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए, ग्रामोद्योग-कार्यक्रम को सामुदायिक योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों के कार्यक्रम का अंग ही मानना चाहिए।

प्रारम्भिक योजनाओं में निम्नलिखित उद्योग लिए गए हैं—खादी, आटे की चक्की, चीनी मिट्टी के बर्तनों का काम, तेल, चमड़ा, गुड़ और खण्डसारी, हाथ से चावल कूटने का काम, घरेलू दियासलाई, ताड़गुड़, साबुन बनाना, रेशे का काम, बढ़ईगिरी और लुहारी, हाथ से कागज का निर्माण, अम्बर चर्खा और हथकरघा आदि।

प्रत्येक क्षेत्र में घरेलू तथा छोटे उद्योगों के विकास के उद्देश्य से सर्वे के आधार पर दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया जाएगा और इसके लिए वाणिज्य मन्त्रालय ने विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है।

बुनकरों के लिए चार बस्तियाँ

भारत सरकार ने हथकरघों पर काम करनेवाले बुनकरों के लिए दो बस्तियाँ मद्रास में, एक मैसूर में और एक उत्तर प्रदेश में बसाने की योजनाएँ मंजूर की हैं। इस काम के लिए सरकार ने साढ़े तीन लाख रुपए की पहली किश्त मंजूर की है। यह सहायता श्रमिकों का रहन-सहन सुधारने की योजना का एक अंग है।

उत्तर प्रदेश में बनारस के रेशम बुननेवालों के लिए १०० घरों की बस्ती बनाई जाएगी।

मद्रास में भी तिंचनगोडे (सलेम जिला) में और श्रीविल्लीपुद्दूर (रामनद जिला) में १००-१०० मकानों की बस्तियाँ बनाई जाएँगी। इसके अलावा तिरुनवेली जिले में बुनकरों के मकानों की मरम्मत की योजना भी मंजूर की गई है। मैसूर राज्य में चदचन (बीजापुर जिला) में भी बुनकरों के लिए ५० मकान बनवाने की योजना है। बस्तियों के निर्माण और देख-रेख का काम सहकारी संस्थाएँ करेंगी। सहकारी संस्थाएँ रंगाई और माड़ी के कारखाने भी चलाएँगी जिनमें सब जुलाहे अपने माल की रंगाई और माड़ी करा सकेंगे। सहकारी समिति थोक में सूत खरीद कर बुनकरों को देंगी और उनके माल की बिक्री की व्यवस्था करेंगी।

हर मकान पर ३ हजार रुपए की लागत आएगी। यह सारा खर्च भारत सरकार देगी। केन्द्रीय सहायता का दो तिहाई भाग कर्ज और बाकी दान के रूप में होगा। जल और नालियों आदि का खर्च भी केन्द्रीय सरकार उठाएगी।

सामुदायिक विकास क्षेत्रों में फलों की खेती

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में फल तथा सब्जियाँ उगाने का कार्य लगातार प्रगति कर रहा है अक्तूबर, १९५२ से दिसम्बर १९५६ तक प्रत्येक खण्ड में औसतन १९२ एकड़ अतिरिक्त जमीन में फलों की खेती की गई। इस प्रकार दिसम्बर १९५६ में सामूहिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में कुल २,४३,००० एकड़ अतिरिक्त जमीन में फल लगाए गए जबकि दिसम्बर १९५५ के अन्त में कुल १,३५,००० एकड़ अतिरिक्त जमीन में ही उगाए गए थे।

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में ३१ दिसम्बर, १९५६ तक कुल ५,९६,००० एकड़ अतिरिक्त जमीन में सब्जियाँ उगाई गईं।

★

विस्तार की परिभाषा—[पृष्ठ ८ का शेषांश]

शिक्षा

जनता बहुत सी बातों की अभ्यस्त हो गई है और उनकी बुराइयों को महसूस नहीं करती। हमें बहुत से अन्धविश्वासों और रीति-रिवाजों को सुधारना है और यह केवल शिक्षा द्वारा ही सम्भव है; तथा विस्तार कार्य शिक्षा देने की एक विधि है—

१. इस विधि में पहले हमें समाज तथा वहाँ की सामान्य परिस्थितियों का पूर्ण अध्ययन करना और हर बात की वजह को समझ लेना चाहिए। यह भी अनुभव किया गया है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय ग्राम नेताओं, प्रतिष्ठित तथा प्रभावशाली व्यक्तियों से भी सहायता लें और उनके सहयोग से कार्य करें।

२. विस्तार शिक्षा में कार्यकर्ता को अपने विषय की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए।

३. विस्तार का सर्वोत्तम ढंग प्रदर्शन योजनाएँ हैं जो प्रत्यक्ष प्रभावशाली होती हैं।

४. दृश्य-श्रव्य साधनों द्वारा विस्तार शिक्षा दें।

५. दूसरे देशों, संस्थाओं आदि के अन्वेषण एवं अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए।

६. शिक्षा को व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाने के अतिरिक्त विषय को मनोरंजक भी बनाएँ। शिक्षा और मनोरंजन का समन्वय करके ही हम विस्तार कार्य को सफल बना सकते हैं।

अतः शिक्षा, सेवा एवं सहयोग के उचित मेल से जो शिक्षा मिलती है, वही विस्तार का मुख्य सिद्धान्त है। विस्तार एक शिक्षा है जो किसी विद्यालय या प्रयोगशाला में नहीं मिलती, यह एक सेवा है क्योंकि इसमें भाग लेनेवाला हर सदस्य एक दूसरे के प्रति सेवा-भाव रखता है तथा यह सहयोग भी है क्योंकि इसमें सभी आपस में मिल कर अपनी समस्याओं पर विचार कर उनके निदान का उपाय करते हैं।

[क्रमशः]

★

ग्राम सेवक

सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 'ग्राम सेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १.२५ रुपये : एक प्रति १५ नये पैसे

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ४.०० रुपये : एक प्रति ३५ नये पैसे

कुरुक्षेत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं।

वार्षिक मूल्य २.५० रुपये : एक प्रति २५ नये पैसे

आकाशवाणी प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'आकाशवाणी प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। गेट-अप सुन्दर।

वार्षिक मूल्य २.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ६.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली-८

अ न मो ल पु स्त कें

	मूल्य	डाक व्यय
१. बौद्धधर्म के २५०० वर्ष : (आजकल का वार्षिक अंक)	रु० ३.००	रु० ०.६२

२५००वीं बुद्ध जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद, "आजकल" मासिक के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है। अनेक सुप्रसिद्ध भारतीय व विदेशी लेखकों ने बौद्ध धर्म के विविध अंगों पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला है।

२. भारत के बौद्ध तीर्थ :	रु० २.००	रु० ०.३७

बौद्ध धर्म के "अष्ट महास्थानों" का रोचक वर्णन, अनेक आकर्षक चित्रों सहित।

३. स्वाधीनता और उसके बाद :	रु० ५.००	रु० १.३५

भारत द्वारा आज़ादी प्राप्त करने के पश्चात प्रायः डेढ़ वर्ष में दिए गए प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषणों का संग्रह।

४. भारत की एकता का निर्माण :	रु० ५.००	रु० १.३५

भारत की आज़ादी से पूर्व ५८४ देशी राज्यों के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल को है। उसी महान नेता के २७ विविध विषयक भाषणों का संग्रह।

५. भारत (१९५६) :	रु० ४.५०	रु० १.००

प्रामाणिक वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ। "भारत १९५५" में संकलित सूचनाओं को नवीनतम बनाने के अतिरिक्त, इस ग्रन्थ में कई नए अध्याय भी जोड़े गए हैं।

(रजिस्ट्री खर्च अतिरिक्त)

२५ रुपए या उससे अधिक की किताबें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लगेगा।
मूल्य अग्रिम आना चाहिए और अच्छा हो यदि पोस्टल आर्डर भेजें।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य अथवा सीधा लिखें—

बिज़नेस मैनेजर

पब्लिकेशन्स डिवीज़न

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, पो० बा० २०११,

दिल्ली–८

Printed at the Albion Press, Kashmere Gate, Delhi 6, and Published on behalf of Ministry of Community Development by the Publications Division, Delhi—8